716वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 जनवरी 2024

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओ के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 716वीं बैठक दिनांक 23/01/2024 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :–

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
7. सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :–

1. <u>Case No 10962/2023 Shri Praveen Singh S/o Shri Anjani Kumar Singh, Owner, Daga, District-Singrauli (MP)-486886, Prior Environment Clearance for Daga Muram Deposit in an area of 2.00 ha. (15075 cum per year) (Khasra No. 2076/1), Village-Daga, Tehsil-Deosar, District-Singrauli (MP) [DEIAA]</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 23/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Praveen Singh S/o Shri Anjani Kumar Singh, Owner एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र.). उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Praveen Singh S/o Shri Anjani Kumar Singh, Owner, Daga, District-Singrauli (MP)-486886, Prior Environment Clearance for Daga Muram Deposit in an area of 2.00 ha. (15,075 cum per year) (Khasra No. 2076/1), Village-Daga, Tehsil-Deosar, District-Singrauli (MP) [449711] [DEIAA]
परियोजना का खसरा नं./लीज	खसरा नं.– एरिया– 2.00 ha., शासकीय भूमि

क्षेत्रफल	2076/1,	
परियोजना स्थल	Village-Daga, Tehsil-Deosar, District-Singrauli (MP)	
सैंधातिक सहमति	पत्र क्र0. 1250 दिनांक 15/07/2015.	
परियोजना की श्रेणी	**बी–2.**	
जल/वायु सम्मति नवीनीकरण	-	
खनन् कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	• लागू नहीं। (As per Parivesh Portal up-loaded information).	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	DEIAA Singrauli EC Letter No. 37 date 30/05/2016. DEIAA to SEIAA Case.	
उत्पादन क्षमता	**मुरूम – 15,075 cum per year. (As per Mine Plan Capacity : 15,000 M^3).**	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 3575 दिनांक 11/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत है, जिसको मिलाकर कुल रकबा 4.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।	
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 3575 दिनांक 11/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 3575 दिनांक 11/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है। • खदान क्षेत्र से आबादी–120 मी. की दूरी पर होना सूचित किया गया है। • खदान क्षेत्र से नाला– 100 मी. की दूरी पर होना सूचित किया गया है।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद्	ग्राम पंचायत – डगा, जिला – सिंगरौली का ठहराव प्रस्ताव क्र0. 07 दिनांक 18/09/2013 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।	
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान क्षेत्र के उत्तर दिशा में जहां पेड लगे है उनमें से कोई पेड को काटा नहीं जावेगा एवं यह क्षेत्र गैर खनन क्षेत्र (0.41 हे.)के रूप में छोडा जायेगा।	

प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	उत्तर पश्चिम दिशा– परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि लगभग 25 मी. पर शेड है, इनमें कोई रहवास नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. – 32 के सरल क्रमांक – 40 पर दर्ज है।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई ।

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तो का पालन प्रतिवेदन देखा गया –

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	**पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति**
लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता **मुरूम – 15,075 मी^{3} प्रति वर्ष।**
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 12.47 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 6.27 लाख प्रति वर्ष ।
3. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि–स्टोर किया जावें।

4. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तो का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
5. खदान क्षेत्र के उत्तर दिशा में जहां पेड लगे है उनमें से कोई पेड को काटा नहीं जावेगा एवं यह क्षेत्र गैर खनन क्षेत्र (0.41 हे.)के रूप में छोडा जायेगा।
6. **डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तो का एवं उपरोक्तानुसार दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।**
7. अन्य शर्तो का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
8. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.90 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

CER		
Sn. No.	**Particular**	**Amount**
1	अधोसंरचना विकास के लिए राजकीय माध्यमिक विद्यालय डागा के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी।	90,000
Total		**90,000**
Total CER Cost = 2.00% of the total cost		

उपर्युक्त लिखित धनराशि प्रस्तावित परियोजना से सम्बंधित गाँव के पालक शिक्षक संघ में भू-प्रवेश के 3 माह के भीतर जमा कर इसकी सूचना माइनिंग ऑफिसर को दी जावेगी।

9. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)	मात्रा पूर्व खनन योजना 200 नग
1	खदान के बैरियर जोन में 7.5)m X 1000 m (	नीम, पीपल, शीशम, करंज, खामेर, चिरौल आदि	700	50
2	खदान के परिवहन मार्ग एवं मुख्य मार्ग में वृक्षारोपण	नीम, पीपल, शीशम, बरगद, अर्जुन, जामुन, आम इत्यादि	200	50

	पौंधो की न्यूनतम) ऊंचाई (मीटर 01			
3	**ग्राम डागा** स्कूल, पंचायत एवं आगनवाडी के प्रांगण में	नीम कदम, पीपल, करंज, सीताफल एवं अशोक	500	50
4	**ग्राम डागा** के ग्राम वासियों में पौंधो का वितरण	जामुन, मुनगा, सीताफल, कटहल नीबू, एवं अमरुद	1000	50
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।				

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का निर्णय हेतु आग्रह है।

2. <u>Case No 10964/2023 Shri Vijay Bais S/o Ram Lallu Vaishya, Owner, Ward No. 13, House No. 1 to 233, Village-Chingo, Post-Pateri, Near Government School, Chitrangi, District-Singrauli (MP)-486892, Prior Environment Clearance for Pali Stone Deposit in an area of 2.00 ha. (21945 cum per year) (Khasra No. 323), Village-Pali, Tehsil-Chitrangi, District-Singrauli (MP) [DEIAA]</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 23/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Vijay Bais S/o Ram Lallu Vaishya, Owner एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो

मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र.). उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Vijay Bais S/o Ram Lallu Vaishya, Owner, Ward No. 13, House No. 1 to 233, Village-Chingo, Post-Pateri, Near Government School, Chitrangi, District-Singrauli (MP)-486892, Prior Environment Clearance for Pali Stone Deposit in an area of 2.00 ha. (21, 945 cum per year) (Khasra No. -323), Village - Pali, Tehsil - Chitrangi, District-Singrauli (MP) [449803] [DEIAA]	
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.– 323,	एरिया– 2.00 ha., शासकीय भूमि
परियोजना स्थल	Village-Pali, Tehsil-Chitrangi, District-Singrauli (M.P.).	
सैंधातिक सहमति	पत्र क्र0. 3574 दिनांक 11/10/2023.	
परियोजना की श्रेणी	**बी–2.**	
खनन् कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	• Control BLASTING. (As per Parivesh Portal up-loaded information).	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	DEIAA Singrauli EC Letter No. 171 date 30/11/2016. DEIAA to SEIAA Case. (EC Capacity : 22,396 M^3).	
उत्पादन क्षमता	**स्टोन – 21,945 cum per year.**	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 3574 दिनांक 11/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत नही है, कुल रकबा 2.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।	
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 3574 दिनांक 11/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 3574 दिनांक 11/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है। • खदान क्षेत्र से आबादी (मकान) एंव प्राथमिक शाला पाली से –200 मी. की दूरी पर होना सूचित किया गया है।	

ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद्	ग्राम पंचायत – सेमुआर, जिला – सिंगरौली का ठहराव प्रस्ताव क्र0. 06 दिनांक 14/11/2016 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान क्षेत्र के उत्तर पूर्व दिशा में जहां पेड लगे है उनमें से कोई पेड को काटा नहीं जावेगा एवं यह क्षेत्र गैर खनन क्षेत्र (0.48 हे.)के रूप में छोडा जायेगा।
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	पश्चिम दिशा– परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान के अंदर साईट ऑफिस है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. – 35 के सरल क्रमांक – 53 पर दर्ज है।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई ।

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तो का पालन प्रतिवेदन देखा गया –

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	**पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति**
लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता **स्टोन – 21,945 मी^{3} प्रति वर्ष।**
2. खदान क्षेत्र के उत्तर पूर्व दिशा में जहां पेड लगे है उनमें से कोई पेड को काटा नहीं जावेगा एवं यह क्षेत्र गैर खनन क्षेत्र (0.48 हे.)के रूप में छोडा जायेगा।
3. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि–स्टोर किया जावें।
4. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तो का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 7.28 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 3.74 लाख प्रति वर्ष ।
6. खदान क्षेत्र के उत्तर दिशा में जहां पेड लगे है उनमें से कोई पेड को काटा नहीं जावेगा एवं यह क्षेत्र गैर खनन क्षेत्र (0.41 हे.)के रूप में छोडा जायेगा।
7. **डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तो का एवं उपरोक्तानुसार दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।**
8. अन्य शर्तो का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
9. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

S. No.	Particulars	Budget Provisions (Rs)
1	अधोसंरचना विकास के लिए राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खरकटा के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी	60,000
Total Cost		**60,000**

उपर्युक्त लिखित धनराशि प्रस्तावित परियोजना से सम्बंधित गाँव के पालक शिक्षक संघ में भू-प्रवेश के 3 माह के भीतर जमा कर इसकी सूचना माइनिंग ऑफिसर को दी जावेगी।

10. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	**वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**	**मात्रा पूर्व खनन योजना 900 नग**
1	खदान के बैरियर जोन में 7.5)m X 1000 m (	नीम, पीपल, शीशम, करंज, खामेर, चिरौल आदि	700	300
2	खदान के परिवहन मार्ग एवं मुख्य मार्ग में वृक्षारोपण पौंधो की न्यूनतम) ऊंचाई (मीटर 01	नीम, पीपल, शीशम, बरगद, अर्जुन, जामुन, आम इत्यादि	200	100
3	**ग्राम पाली** स्कूल, पंचायत एवं आगनवाडी के प्रांगण में	नीम कदम, पीपल, करंज, सीताफल एवं अशोक	500	200
4	**ग्राम पाली** के ग्राम वासियों में पौंधो का वितरण	जामुन, मुनगा, सीताफल, कटहल नीबू, एवं अमरुद	1000	300

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का निर्णय हेतु आग्रह है।

3. Case No 10965/2023 Shri BAL BHATIA, Lessee, 46/1, Hospital Road, Gali No. 1, Near Sharda School, Nagda, Ujjain, Madhya Pradesh., Prior Environment Clearance for Kachnariya Crusher Stone Deposit in an area of 2.00 ha. (17100 cum per year) (Khasra No. 550, 552), Village-Kachnariya, Tehsil-Nagda, District-Ujjain (MP) [DEIAA]

प्रस्तावित स्टोन खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 23/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri BAL BHATIA, Online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर, उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri BAL BHATIA, Lessee, 46/1, Hospital Road, Gali No. 1, Near Sharda School, Nagda, Ujjain, Madhya Pradesh.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	550 & 552 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.00 hectare.
स्थल	ग्राम KACHNARIYA तसहील Nagda जिला Ujjain (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 16 दिनांक 18/01/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया उज्जैन के पत्र क्रमांक 2016 दिनांक 11/10/16 के द्वारा पत्थर–17,100 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–17,100 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–17,100 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण– क्रमांक 10235 दिनांक 15/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण– क्रमांक 10235 दिनांक 15/11/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण– क्रमांक 10235 दिनांक 15/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक,	

	रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत काक्याकोल जिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–2 दिनांक 30/03/2007 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existed -No
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज के बगलमें खेतहै खेत की सीमा से 25 मी. का सेटबेक देना है।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के के सरल क्रमांक–10 पर दर्ज है ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई ।

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तो का पालन प्रतिवेदन देखा गया –

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	**पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति**
लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	50 पौधे लगाये तथा 40 पौधों का वितरण किया गया

ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः पर्यावरण स्वीकृति में शर्तो के पालन के विषय पर जिला खनन् कार्यालय के माध्यम से इनकी शर्तो के सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता **स्टोन – 17,100 मी^{3} प्रति वर्ष।**
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 16.86 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 3.14 .लाख प्रति वर्ष ।
3. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि–स्टोर किया जावें।
4. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तो का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
5. खदान से कृषि भूमि समीप है, अतः 25 मी. का सेटबेक छोडा जावें।
6. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट प्रस्तावित नही है, अतः लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट स्थापित करने की अनुमति नही दी जा सकेगी।
7. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
8. **डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तो का एवं उपरोक्तानुसार दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।**
9. अन्य शर्तो का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
10. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सीइ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि.	**राशि (रु. में)**
ग्राम के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के अधोसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी	1,20,000

11. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	हरित पट्टी (7.50 मीटर बेरियर ज़ोन में 450 मीटर की लम्बाई पर तीन लाइनो में वृक्षारोपण किया जायेगा)	नीम, सीताफल, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सो आदि।	500
2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड(615 मीटर) के दोनों ओर 4 फ़ीट की उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	600
3	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, आदि	1300
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का निर्यण हेतु आग्रह है।

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का निर्णय हेतु आग्रह है।

4. Case No 10976/2023 Shri RAGHVENDRA SINGH, Lessee, R/o-Pipliyahana Mail Road 24/B, Shriji Vatika, Indore, District- Indore (M.P.), Prior Environment Clearance for Sagadiyaw Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (33950 cum per year) (Khasra No. 161/6), Village- Sagadiyaw, Tehsil- Sanawad, and District- Khargone (M.P.) [DEIAA]

प्रस्तावित स्टोन खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 23/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri RAGHVENDRA SINGH, Online** . एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri RAGHVENDRA SINGH, Lessee, R/o-Pipliyahana Mail Road 24/B, Shriji Vatika, Indore, District- Indore (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	161/6 (निजी–नॉन फॉरेस्ट लेंड परियोजना प्रस्तावक स्वयं की)	2.00 hectare.
स्थल	Village- Sagadiyaw, Tehsil- Sanawad, and District- Khargone (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगौन के पत्र क्रमांक 968 दिनांक 16/02/18 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया खरगोन के पत्र क्रमांक 53 दिनांक 30/05/16 के द्वारा पत्थर–33,950 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–33,950 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–33,950 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1661 दिनांक 05/12/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य	

	कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1661 दिनांक 05/12/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1661 दिनांक 05/12/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत छपरा जिला खरगोन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–2 दिनांक 08/04/15 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य का प्रस्ताव पारित ।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existed -Yes Tree felling -No
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा– परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पक्का रोड लगभग 231 मी.
	दक्षिण दिशा– परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान के समीप एक हॉलेज रोड है।
	पश्चिम दिशा– नदी > 500 मी.
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के आर–1 के सरल क्रमांक–33 पर दर्ज है ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई ।

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तो का पालन प्रतिवेदन देखा गया –

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	**पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति**
लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान	अपूर्ण पायी गई एवं बेरियर जोन खुदा

स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	हुआ है।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	पी.पी ने बताया कि लगभग 120 पौधे लगाये है ।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	साक्ष्य प्रस्तुत किये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–33,950 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 5.30 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 1.77.लाख प्रति वर्ष ।
3. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि–स्टोर किया जावें।
4. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तो का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
5. **डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तो का एवं उपरोक्तानुसार दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।**
6. अन्य शर्तो का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सीइ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि.	**राशि (रु. में)**
ग्राम सग डिया के शासकीय विद्यालय विकास हेतु पालक शिक्षा संघ में उल्लेखित राशि जमा करी जावेगी	**70,000/-**

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	**वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**

1	बैरियर जोन में	आमआंवला, मुनगाहाइब्रिडए सीताफल, गुआवा, कटहलए अचारआदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	690पौधे
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री–गार्ड के साथ)	नीम, सिस्सू, चिरोल, कदम्ब, करंज,पाकर, पीपलआदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँट्री–गार्ड के साथ	100 पौधे
3	ग्राम ..... के ग्रामपंचायतमें वृक्षारोपण	पुत्रंजीवामोलश्रीसिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, चिरोलआदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	50 पौधे
4	ग्राम.....में वृक्षारोपण	आंवला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल, जामुन, हाइब्रिडमुनगाआदि एवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1560 पौधे
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का निर्णय हेतु आग्रह है।

5. <u>Case No 10963/2023 Shri Vikram Anjana, HUF, Proprietor, Village-Kesunda, District-Pratapgarh (RJ)-312604, Prior Environment Clearance for Jethana Stone (Gitti) Quarry in an area of 2.00 ha. (29100 cum per year) (Khasra No. 42/1), Village-Jethana, Tehsil-Piploda, District-Ratlam (MP) [DEIAA]</u>

प्रस्तावित पत्थर खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 23/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री अमीत सक्सेना

एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर, उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri VIKRAM ANJANA HUF, Proprietor, Village Kesunda, Pratapgarh, Rajasthan.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	42/1 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.00 hectare.
स्थल	Village Jethana, Tehsil Piploda, Dist. Ratlam (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के पत्र क्रमांक 1073 दिनांक 15/12/16 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया रतलाम के पत्र क्रमांक 534 दिनांक 22/08/17 के द्वारा पत्थर–26,190 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–29,100 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–29,100 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1514 दिनांक 13/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1514 दिनांक 13/07/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1514 दिनांक 13/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की	ग्राम पंचायत जैठाना जिला रतलाम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–5 दिनांक 26/01/16 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई	

अनापत्ति	आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान क्षेत्र के उत्तर दिशा में जहां पेड लगे है उनमें से कोई पेड को काटा नहीं जावेगा एवं यह क्षेत्र गैर खनन क्षेत्र (0.43 हे.)के रूप में छोडा जायेगा।
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर पूर्व दिशा– कच्ची रोड लगभग 52 मी.
	पश्चिम दिशा– कच्ची रोड लगभग 25 मी. एवं परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जो संरचना है वह ऑफिस है। खदान क्षेत्र में क्रशर लगा है।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–6 के सरल क्रमांक–35 पर दर्ज है ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई ।

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तो का पालन प्रतिवेदन देखा गया –

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	**पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति**
लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पाया गया।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	पी.पी ने बताया कि लगभग 60 पौधे वितरित किये है।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	साक्ष्य प्रस्तुत किये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–29,100 घनमीटर/वर्ष ।

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 15.74 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 3.33 लाख प्रति वर्ष ।
3. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि–स्टोर किया जावें।
4. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तो का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
5. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
6. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
7. खदान क्षेत्र के उत्तर दिशा में जहां पेड लगे है उनमें से कोई पेड को काटा नहीं जावेगा एवं यह क्षेत्र गैर खनन क्षेत्र (0.43 हे.)के रूप में छोडा जायेगा।
8. **डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तो का एवं उपरोक्तानुसार दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।**
9. अन्य शर्तो का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
10. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सीइ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि.	**राशि (रु. में)**
ग्राम के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के अधोसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी	1,00,000

11.
12. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400. वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	**वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**
1	हरित पट्टी (7.50 मीटर बेरियर ज़ोन में 750 मीटर की लम्बाई पर तीन लाइनो में वृक्षारोपण किया जायेगा)	नीम, सीताफल, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, गुग्गल, सफेद कस्टार, सिस्सु कला सिरस, सफ़ेद सिरस आदि।	**570**

2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड(450 मीटर) के दोनों ओर 2 लाइनो में 4 फ़ीट की उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	**450**
3	आस पास के ग्रामीण किसानो को पौधे वितरित किये जायेंगे	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, कटहल, आदि	**1000**
4	पट्टा क्षेत्र के अंदर काटे जाने वाले वृक्षों के बदले लगाए जाने वाले पोधो की संख्या	नीम, पलाश आदि	**40**
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का निर्णय हेतु आग्रह है।

6. <u>Case No 10967/2023 Shri Lovedeep Gole, Lease Owner, R/o Gumadiya Road, Gram-Niwali, Tehsil-Niwali, District-Barwani (MP)-451770, Prior Environment Clearance for Palsud Stone Mine in an area of 2.00 ha. (20006.25 cum per year) (Khasra No. 602/1), Village -Palsud, Tehsil-Rajpur, District -Badwani (MP)</u>

प्रस्तावित पत्थर खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 23/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक **<u>Shri Lovedeep Gole,Online</u>** एवं उनके पर्यावरणीय

सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri LOVEDEEP GOLE, lease owner, R/o- Gumadiya Road, gram- niwali, tehsil-Niwali Barwani(M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	602/1 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.00 hectare.
स्थल	Village -Palsud, Tehsil-Rajpur, District -Badwani, Madhya Pradesh.	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के पत्र क्रमांक 346 दिनांक 09/03/16 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया बड़वानी के पत्र क्रमांक 07 दिनांक 10/05/16 के द्वारा पत्थर–20,006.25 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–20,006.25 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–20,006.25 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2446 दिनांक 31/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 04.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2446 दिनांक 31/10/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2446 दिनांक 31/10/23 अनुसार 300 मीटर की दूरी पर बरसाती नाला स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	नगर परिषद् पलसूद जिला बड़वानी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 1257 दिनांक 26/10/15 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य निकाय को कोई आपत्ति नहीं है ।	
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान क्षेत्र में 10 पेड बेरियर जोन में लगे हैं जो काटे जाना प्रस्तावित नहीं है।	

प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण पूर्व दिशा– पक्का मकान लगभग 379 मी. की दूरी पर है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान क्षेत्र से एक प्राकृतिक नाला निकल रहा है जिसकें संबध यह क्षेत्र गैर खनन क्षेत्र (0.86 हे.)के रूप में छोडा जायेगा।
	पूर्व दिशा– पक्कारोड लगभग 420 मी. की दूरी पर है।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–31 के सरल क्रमांक–30 पर दर्ज है ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तो के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई ।

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तो का पालन प्रतिवेदन देखा गया –

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	**पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति**
लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई। बेरियर जोन खुदा हुआ है।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	पी.पी ने बताया कि लगभग 600 पौधे वितरित किये है।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के साक्ष्य प्रस्तुत किये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–20,006.25 घनमीटर/वर्ष

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 4.54 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 4.57 लाख प्रति वर्ष ।
3. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि–स्टोर किया जावें।
4. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तो का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
5. खदान क्षेत्र से एक प्राकृतिक नाला निकल रहा है जिसकें संबध यह क्षेत्र गैर खनन क्षेत्र (0.86 हे.) के रूप में छोडा जायेगा।
6. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट प्रस्तावित नही है, अतः लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट स्थापित करने की अनुमति नही दी जा सकेगी।
7. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
8. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
9. बेरियर जोन खुदा हुआ है, अतः इसका रि–स्टोर किया जावें।
10. **डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तो का एवं उपरोक्तानुसार दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।**
11. अन्य शर्तो का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
12. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सीइ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि.	**राशि (रु. में)**
• ग्राम पलसूद के ग्राम पंचायत में समाजिक कार्य हेतु।	रू 50,000/–
• परियोजना प्रस्तावक द्वारा भूप्रवेश के तीन महीने के अंदर ग्राम पलसूद के वेलनेस सेंटर के खाते में जमा किया जायेगा।	रू 1,10,000/–
• ग्राम पलसूद के ग्राम पंचायत में समाजिक कार्य हेतु।	रू 50,000/–

13. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	**वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**
1	बैरियर जोन	सिस्सू, नीम, बरगद, खमैर, चिरौल, सीताफल, करंज एवंअन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	800

2	परिवहन मार्ग	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, एवं कुसुम अन्य स्थानीय प्रजातियॉ, ।	80
3	पलसूद ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम,, अमरूद।	900
4	शासकीय विद्यालय पलसूद में	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, कुसुम, गुलमोहर।	20
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का निर्णय हेतु आग्रह है।

7. <u>Case No 10968/2023 Shri Hanuman Mehta, Lessee, R/o 104, LIC Colony, Vaishali Nagar, District-Ajmer (RJ)-305001, Prior Environment Clearance for Rampuriya Stone Mine in an area of 1.30 ha. (35793 cum per year) (Khasra No. 793/4), Village-Rampuriya, Tehsil-Petlawad, District-Jhabua (MP)</u>

प्रस्तावित पत्थर खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 23/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री संदीप उपाध्याय, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri HANUMAN MEHTA, LESSEE, R/o- 104,L.I.C. Colony vaishali nagar , District-Ajmer, State- Rajasthan.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	793/4 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.30 hectare.

स्थल	Village-Rampuriya, Tehsil-Petlawad, District-Jhabua (M.P.)
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक 15022 दिनांक 29/10/21 द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया झाबुआ के पत्र क्रमांक 92 दिनांक 22/11/17 के द्वारा पत्थर–50,440 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–35,793 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–35,793 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1062 दिनांक 08/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1062 दिनांक 08/11/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1062 दिनांक 08/11/23 अनुसार लगभग 100 मीटर पर शमशान घाट, 110 मीटर पर नाला, 260 मीटर पर तालाब स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत रामपुरिया जिला झाबुआ के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–7 दिनांक 14/04/21 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य का प्रस्ताव पारित ।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existed -No
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पश्चिम दिशा– प्राकृतिक नाला लगभग 20 मी. पर स्थित है 30 मी. का सेटबेक प्रस्तावित है।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–19 के सरल क्रमांक–38 पर दर्ज है ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई ।

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तो का पालन प्रतिवेदन देखा गया –

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	**पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति**
लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	पूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण पाया गया एवं बेरियर जोन में खनन कार्य हुआ है।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	पूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–35,793 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 3.90 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 3.98 लाख प्रति वर्ष ।
3. खदान क्षेत्र से एक प्राकृतिक नाला निकल रहा है जिसकें संबध यह क्षेत्र गैर खनन क्षेत्र (0.15 हे.) के रूप में छोडा जायेगा।
4. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट प्रस्तावित नही है, अतः लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट स्थापित करने की अनुमति नही दी जा सकेगी।
5. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।

6. **डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तो का एवं उपरोक्तानुसार दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।**
7. अन्य शर्तो का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
8. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि–स्टोर किया जावें।
9. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तो का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
10. डिया द्वारा जारी ई.**सी की समस्त शर्तो का एवं उपरोक्तानुसार दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।**
11. अन्य **शर्तो का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।**
12. **सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू.** 0.60 **लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01** वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सीइ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि.	**राशि (रु. में)**
परियोजना प्रस्तावक द्वारा भूप्रवेश के तीन महीने के अंदर ग्राम अमरगढ़ के शासकीय हाईस्कूल के निकट में एक हैंडपंप के चारो तरफ चबूतरा बनवाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट की स्थापना करवा दिया जाएगा ।	45,000/–
ग्राम रामपुरिया के स्थानीय ग्रामीणों के लिए वर्ष में दो बार नियमित स्वास्थ्य शिविर की व्यवस्था।	15,000/–
योग	**60,000/-**

13. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम .1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	सिस्सू, नीम, बरगद, खमैर, चिरौल, सीताफल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	550
2	परिवहन मार्ग (100 मीटर)	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, कुसुम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ,	80
3	रामपुरिया, अमरगढ़ एवंबमनी,	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरूद।	550

	ग्रामवासियो में वितरण हेतु		
4	प्राइमरी स्कूल कुण्डल, शासकीय प्राइमरीस्कूल, बसंतपुर	कदम्ब, अमलतास, अशोक, नीम, कुसुम, गुलमोहर, ।	20
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का निर्णय हेतु आग्रह है।

8. <u>Case No 9549/2022 Shri PANKAJ GUPTA, Owner, 101 Shrinagar main Road, Khajrana Road, Indore,District Indore. Prior Environment Clearance for Bhilakheda Stone Quarry in an area of 3.730 ha. (17500 Cum per annum) (Khasra No. 82), Village-Bhilakheda, Tehsil-Dewas, District-Dewas (MP) (EIA)</u>

प्रस्तावित पत्थर खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 23/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक **<u>Shri PANKAJ GUPTA, Online</u>** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri PANKAJ GUPTA, Owner, 101 Shrinagar main Road, Khajrana Road, Indore,District Indore.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	82 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	3.73 hectare.
स्थल	ग्राम BHILAKHERA तसहील Dewas जिला Dewas (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र पृ. क्रमांक 10510–13 दिनांक 03/08/22 द्वारा स्वीकृत ।	

ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
टॉर	सेक की 618वीं बैठक दिनांक 11/01/23 को अनुशंसित, सिया के पत्र क्रमांक 2765 दिनांक 07/02/23 के द्वारा पत्थर–17,500 घनमीटर/वर्ष के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–17,500 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–17,500 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2888 दिनांक 31/10/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 06.88 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2888 दिनांक 31/10/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2888 दिनांक 31/10/22 अनुसार कच्चा रास्ता लगा हुआ है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सदाशिवपुरा जिला देवास के पत्र दिनांक 16/06/21 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया कि खदान में एवं बेरियर जोन में स्थित कुछ पेडों को नहीं काटा जावेगा।
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा– कच्चा रोड लगभग 30 मी. 20 मी का सेटबेक प्रस्तावित है।
	पूर्व दिशा– पक्का रोड लगभग 330 मी
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के पत्र क्रमांक 2986 दिनांक 16/11/22 अनुसार उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर ली जावेगी । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण में प्राप्त जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यो की समीक्षा की गई।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–17,500 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 25.85 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 7.76 लाख प्रति वर्ष ।
3. खदान के उत्तर पश्चिम दिशा में एंव उत्तर पूर्व दिशा में खेत स्थित है अतः 25 मी. दूरी तक गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोडा जायेगा।
4. खदान में उत्तर पश्चिम में जो पेड लगे है उन पेडों को तक गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोडा जायेगा।
5. **सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू.** 1.00 **लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01** वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सीइ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि.	**राशि (रु. में)**
सी.ई.आर मद से 100,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम भीलाखेड़ा के शासकीय माध्यमिक शाला के खाते में शाला विकास कार्य हेतु जमा की जावेगी।	**1,00,000**

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम .1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	**बैरियर जोन मे वृक्षारोपण + No Mining Zone**	**चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, अमलताश एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां**	**600**
2	**ग्रामवासियों में वितरण हेतु**	**सीताफल, आवलाँ,अमरुद, ग्राफ्टिंग मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां**	**3500**
3	**परिवहन मार्ग के दोनों तरफ**	**करंज, कदम , चिरोल, जंगल जलेबी , एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां**	**400**

	1 पेड़ों की न्यूतम ऊंचाई) (मीटर		
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।		

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

9. Case No 10969/2023 Shri Pankaj, Lessee, 37, Adarsh Nagar Colony, District-Shivpuri (MP)-473551, Prior Environment Clearance for Banskhedi Khanda, Boulder, Dhoka, Murrum Quarry in an area of 1.40 ha. (Murum-10004, Boulder-5079 cum per year) (Khasra No. 582/1/1), Village-Banskheri, Tehsil-Shivpuri, District-Shivpuri (MP). DEIAA to SEIAA. Case.B2.

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 23/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Praveen Singh S/o Anjani Kumar Singh, Partner, Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., नोयडा, (उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Pankaj, Lessee, 37, Adarsh Nagar Colony, District-Shivpuri (MP)-473551, Prior Environment Clearance for Banskhedi Khanda, Boulder, Dhoka, Murrum Quarry in an area of 1.40 ha. (Murum-10004, Boulder-5079 cum per year) (Khasra No. 582/1/1), Village-Banskheri, Tehsil-Shivpuri, District-Shivpuri (MP) [453035]	
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.– 582/1/1,	**एरिया– 1.40 ha.,** शासकीय भूमि
परियोजना स्थल	Village-Banskheri, Tehsil-Shivpuri, District-Shivpuri (MP)	
सैंधातिक सहमति	पत्र क्र0. 673 दिनांक 13/01/2023.	
परियोजना की श्रेणी	**बी–2.**	
खनन् कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	• **Not Rewuired. (As per Mining Plan Page No. 13)** • NOT APPLICABLE (As per Parivesh Portal up-loaded information).	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नही।	
उत्पादन क्षमता	**(Murum Production – 10004 Cubic Meter, Khanda, Boulder, Dhoka**	

	Production – 5079 Cubic Meter) (As per Mining Plan Capacity: M^3).
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1323 दिनांक 02/11/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत नही है, जिनका कुल रकबा 1.40 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1323 दिनांक 02/11/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। माधव राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से लगभग 4.29 कि.मी. तथा इको सेंसटिव सीमा से 2.0 कि.मी. की सीमा से लगभग 2.29 कि.मी. स्थित है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1323 दिनांक 02/11/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद्	ग्राम पंचायत – बांसखेड़ी, जिला – शिवपुरी का ठहराव प्रस्ताव क्र0. 04 दिनांक 08/03/2022 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existed-No
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	उत्तर दिशा– .तालाब लगभग 230मी. एवं 245 मी.
	दक्षिण दिशा– नाला–लगभग 43 मी. एवं 208 मी. पर धार्मिक स्थान
	उत्तर दिशा– पूर्व दिशा– आबादी लगभग 430 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1324 दिनांक 02/11/2023 अनुसार अवगत कराया गया कि उक्त खदान का नाम नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में में आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता **Murum-10,004 cum per year, and Boulder-5079 cum per year**
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 14.63 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 3.10 लाख प्रति वर्ष ।
3. खदान के दक्षिण– पूर्व दिशा में खेत स्थित है अतः 25 मी. दूरी तक गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोडा जायेगा।
4. **सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू.** 0.60 **लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01** वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सीइ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि.	**राशि (रु. में)**
शासकीय प्राथमिक स्कूल बांसखेड़ी में फर्नीचर बीस नग बेंच एवं डेस्क) एवं दो अलमारी	60,000

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	नीम, चिरोल, सिस्सू, बॉस, करंज, आम, सीताफल, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ	1000
2	परिवहन मार्ग	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ट्री गार्ड के साथ	200
3	बांसखेड़ी मे वितरण हेतु	इमली, आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	600
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों			

में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

10. Case No 9424/2022 Shri ABDUL KHAN, Owner, House no 130 , Ward No 8 Near Mazzid , Old Bus Stand , Dr. Zakir Hussain Ward, Tehsil-Banda, District-Sagar (M.P.), Prior Environment Clearance for Flag Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (1700 Cum per year) (Khasra No. 118), Village - Bharatpur, Tehsil - Shahgarh, Dist. Sagar (MP) (EIA)

प्रस्तावित **Flag Stone** खदान बी–1 श्रेणी के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 23/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri ABDUL KHAN, Online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.एस.जी. इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि., दिल्ली उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri ABDUL KHAN, Owner, House no 130 , Ward No 8 Near Mazzid , Old Bus Stand , Dr. Zakir Hussain Ward, Tehsil-Banda, District-Sagar (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	118 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.00 hectare.
स्थल	VILLAGE- BHARATPUR, TEHSIL- SHAHGARH, DISTRICT- SAGAR (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक 1874–76 दिनांक 13/05/22 द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।	
टॉर	सेक की 608वीं बैठक दिनांक 06/12/22 को फ्लैग स्टोन–1,700 घनमीटर/वर्ष हेतु टॉन अनुशंसित, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम उत्पादन क्षमता फ्लैग स्टोन–1,700 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार फ्लैग स्टोन–1,700 घनमीटर/वर्ष है।	

500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1057 दिनांक 05/07/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 08 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 09.56 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1057 दिनांक 05/07/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। आवेदित स्थल के समीप 10 कि.मी. की परिधि में नवीन अभ्यारण्य प्रस्तावित है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1057 दिनांक 05/07/22 अनुसार उक्त क्षेत्र ग्रामीण कच्चा रासता से नियमानुसार 10 मीटर दूरी छोड़कर प्रस्तावित किया गया है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में, नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	परियोजना प्रस्तावक ने प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति को बताया कि ग्राम सभा ठहराव दिनांक 22/01/2021 को अनापत्ति प्राप्त है ।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उत्तर पूर्व दिशा में जो पेड लगे है उनको काटा जाना प्रस्तावित नहीं है अतः यह क्षेत्र गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोडा जायेगा जिसको सरफेस मेप में दर्शाया गया है।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–29 के सरल क्रमांक–19 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण में प्राप्त जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यो की समीक्षा की गई।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता फ्लैग स्टोन–1,700 घनमीटर/वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 8.95 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 6.44 लाख प्रति वर्ष ।
3. खदान क्षेत्र में उत्तर पूर्व दिशा में जो पेड लगे है उनको काटा जाना प्रस्तावित नहीं है अतः यह क्षेत्र गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोडा जायेगा।

4. **सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू.** 1.00 **लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01** वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सीइ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि.	**राशि (रु. में)**
सी.ई.आर मद से 100,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम भरतपुर के शासकीय माध्यमिक शाला के खाते में शाला विकास कार्य हेतु जमा की जावेगी।	**100,000**

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	**बैरियर जोन मे वृक्षारोपण + No Mining Zone**	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, अमलताश एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	**350**
2	**ग्रामवासियों में वितरण हेतु**	**सीताफल, आवलाँ,अमरुद, ग्राफ्टिंग मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां**	**800**
3	**परिवहन मार्ग के दोनों तरफ पेड़ों की न्यूतम ऊंचाई) (मीटर 1**	**करंज, कदम , चिरोल, जंगल जलेबी , एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां**	**50**
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

11. Case No 10902/2023 Shri Anurag Singh, Partner, M/s Singh Associates, Madhav Nagar, District-Gwalior (MP)-474002, Prior Environment Clearance for Amoch Marble Mine in an area of 1.83 ha. (3000 cum per year) (Khasra No. 118), Village-Amoch, Tehsil-Bahoriband, District-Katni (MP) [DEIAA] (TOR)

प्रस्तावित **Marble** खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 23/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Anurag Singh, Online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri ANURAG SINGH, Partner, M/s Singh Associates, MADHAV NAGAR DISTRICT GWALIOR (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	118, (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.83 hectare.
स्थल	Village -Amoch, Tehsil-Bahoriband, District-Katni, Madhya Pradesh.	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के पत्र क्रमांक 1259 दिनांक 17/05/22 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया कटनी के पत्र क्रमांक 110 दिनांक 20/02/17 के द्वारा मार्बल–3,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता मार्बल–3,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार मार्बल–3,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1445 दिनांक 30/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 13.64 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1445 दिनांक 30/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल	

	पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है और आवेदित खनन् क्षेत्र वन सीमा से 250 मीटर के अंदर स्थित है । संभाग स्तरीय समिति द्वारा कार्यालय कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 38/क्यूएल/2013 में पट्टाधारी द्वारा अनुमति प्राप्त की गई है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1445 दिनांक 30/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/ पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत अमोच जिला कटनी के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 31/03/2003 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existed-Yes
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–46 के सरल क्रमांक–86 पर दर्ज है ।

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का निर्णय हेतु आग्रह है।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती हैः–

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:

4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no…..date…..
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
    - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
    - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
    - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
    - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
    - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
    - Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान में उत्तर दिशा में पेड़ लगे है अतः इस क्षेत्र में गैर खनन क्षेत्र छोडते हुये सरफेस मेप में दर्शायें।
21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
22. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोडते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
23. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्वन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।

24. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6–6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
25. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।
26. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।
27. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
28. यदि प्रकरण पैसा ग्राम में स्थित है तो पैसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
29. आवेदित खनन् क्षेत्र वन सीमा से 250 मीटर के अंदर स्थित है अतः गेम प्रूफ फेन्सिंग का प्रस्ताव ई.एम.पी. में प्रस्तुत करें।

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

12. <u>Case No 10894/2023 Shri DINESH, Owner (Authorized Signatory), Graam Bhadakhedi, Amla, Sehore, Madhya Pradesh-466113. Prior Environment Clearance for Gudbhela Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (12507 cum per year) (Khasra No. 358), Village-Gurbhela, Tehsil-Sehore, District-Sehore (MP)(TOR)</u>

प्रस्तावित पत्थर खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉन का है, जिसमें आज दिनांक 23/01/24 को परियोजना प्रस्तावक **Shri DINESH,Online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री सतवंत सिंह, मेसर्स एम्बिएंटल ग्लोबल परिसते लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri DINESH, Owner (Authorized Signatory), Graam Bhadakhedi, Amla, Sehore, Madhya Pradesh-466113	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	358 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.00 hectare.
स्थल	Village- Gudbhela, Tehsil- Sehore, Dist- Sehore, Madhya Pradesh.	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के पत्र क्रमांक 681 दिनांक 26/02/18 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	

प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–12,507 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–12,507 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1499 दिनांक 30/01/21 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 08 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 19.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1499 दिनांक 30/01/21 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1499 दिनांक 30/01/21 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत गुडभेला जिला सिहोर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–3 दिनांक 12/07/17 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existed-Yes
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र पहाड पर स्थित है।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–42 के सरल क्रमांक–44 पर दर्ज है ।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती हैः–

1. लीज क्षेत्र का ड्रोन सर्वे/व्हिडियों ग्राफी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
2. सरफेस रन ऑफ वाटर स्टडी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. खनन क्षेत्र में खुदा हुआ है अतः इसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
4. प्रश्नाधीन खदान में उत्तर दिशा में पेड़ लगे है अतः इस क्षेत्र में गैर खनन क्षेत्र छोडते हुये सरफेस मेप में दर्शायें।
5. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोडते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
7. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्वन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
8. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6–6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
9. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
10. यदि प्रकरण पेसा ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।

13. <u>Case No 10895/2023 Shri Praveen Singh S/o Anjani Kumar Singh, Partner, Doga Singrauli, District-Singrauli (MP)-486886, Prior Environment Clearance for Metal Stone Deposit Phulwari in an area of 1.20 ha. (15033 cum per year) (Khasra No. 96P), Village-Phulwari, Tehsil-Singrauli, District-Singrauli (MP) (TOR)</u> DEIAA to SEIAA.

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 23/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Praveen Singh S/o Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र.). उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज

परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Praveen Singh S/o Anjani Kumar Singh, Partner, Doga Singrauli, District-Singrauli (MP)-486886, Prior Environment Clearance for Metal Stone Deposit Phulwari in an area of 1.20 ha. (38,475 cum per year) (Khasra No. - 96P), Village - Phulwari, Tehsil-Singrauli, District-Singrauli (MP) [449754]	
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.– 96P,	**एरिया– 1.20 ha.,** शासकीय भूमि
परियोजना स्थल	Village-Phulwari, Tehsil-Singrauli, District-Singrauli (MP) [449754]	
सैंधातिक सहमति	पत्र क्र0. 3462 दिनांक 27/12/2016.	
परियोजना की श्रेणी	**बी–1. प्रस्तावित टॉर जमा किया गया।**	
खनन् कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	• Controlled blasting will be done by professionals. (As per Parivesh Portal up-loaded information).	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	**डिया ई.सी. पत्र जावक क्र0. 173 दिनांक 30/11/2016.**	
उत्पादन क्षमता	**स्टोन** – 38,475 cum per year. **(As per Mining Plan Capacity: 15033 M^3).**	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 3573 दिनांक 11/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 खदाने स्वीकृत है, जिनका कुल रकबा 7.87 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।	
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 3573 दिनांक 11/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 3573 दिनांक 11/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद्	ग्राम पंचायत – बिरहा, जिला – सिंगरौली का ठहराव प्रस्ताव क्र0. 01 दिनांक 15/08/2016 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।	
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existed-Yes	

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. – 35 के सरल क्रमांक – 54 पर दर्ज है।

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का निर्णय हेतु आग्रह है।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती हैः–

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no…..date…..
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
    a. Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
    b. GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
    c. Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
    d. GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks

e. Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.

f. Verifiable proof of CER

17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ के फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
21. लीज क्षेत्र का ड्रोन सर्वे/व्हिडियों ग्राफी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
22. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
23. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोडते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
24. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्वन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
25. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6–6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
26. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।
27. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।
28. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
29. यदि प्रकरण पेसा ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
30. ओव्हर बर्डन मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

14. Case No 10893/2023 Shri Brijesh Kumar Singh, Director, M/s K.N. International Limited, R/o Village-Parasi, Post-Anpara, Cinema Road, Auri, District-Sonbhadra (UP)-231225, Prior Environment Clearance for Khejra Phulwari Metal Stone Deposit in an area of 1.130 ha. (15151 cum per year) (Khasra No. 276/2, 278, 279, 280, 281), Village-Phulwari, Tehsil-Singrauli, District-Singrauli (MP) [DEIAA] (TOR) DEIAA to SEIAA

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 23/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Brijesh Kumar Singh, Director, Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र.). उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Brijesh Kumar Singh, Director, M/s K.N. International Limited, R/o Village-Parasi, Post - Anpara, Cinema Road, Auri, District-Sonbhadra (UP)-231225, Prior Environment Clearance for Khejra Phulwari Metal Stone Deposit in an area of 1.130 ha. (15,151 cum per year) (Khasra No. - 276/2, 278, 279, 280, 281), Village - Phulwari, Tehsil-Singrauli, District-Singrauli (MP) [450577] [DEIAA].	
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.– 276/2, 278, 279, 280, 281,	**एरिया– 1.130 ha.,** निजी भूमि – 0.07 हे. शासकीय भूमि – 1.13 हे. **(Agrement Copy Submit Online)**
परियोजना स्थल	Village-Phulwari, Tehsil-Singrauli, District-Singrauli (M.P.).	
सैंधातिक सहमति	पत्र क0. 2685 दिनांक 07/10/2016 ***(पूर्व मे मे0. के.एल. इण्टरनेशनल लिमि. संचालक श्री नरेन्द्र सिंह यादव के नाम से आंवटित की गई थी प्रति संलग्न है)।***	
परियोजना की श्रेणी	**बी–1. प्रस्तावित टॉर जमा किया गया।**	
खनन् कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	• Controlled blasting will be done by professionals. (As per Parivesh Portal up-loaded information).	
डिया का विवरण (यदि लागू हो)	**डिया प्रकरण।**	
उत्पादन क्षमता	**स्टोन – 15,151 cum per year.**	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 3642 दिनांक 17/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 05 खदाने स्वीकृत है, जिनका कुल रकबा 12.50 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।	
परियोजना के संबंध में डीएफओ	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल	

की एनओसी	प्रमाण–पत्र क्रमांक 3642 दिनांक 17/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 3642 दिनांक 17/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है। ● आवेदित क्षेत्र से आबादी – 300 मी. एंव विद्यालय –500 मी. की दूरी पर होना सूचित किया गया है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद्	ग्राम पंचायत – फूलवारी, जिला – सिंगरौली का ठहराव प्रस्ताव क्र0. 66 दिनांक 22/06/2016 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. – 35 के सरल क्रमांक – 55 पर दर्ज है।

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का निर्णय हेतु आग्रह है।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती हैः–

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:

9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no…..date…..
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
    a. Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
    b. GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
    c. Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
    d. GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
    e. Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
    f. Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान में पूर्व दिशा की ओर पेड़ अच्छादित क्षेत्र है अतः इस क्षेत्र को गैर खनन क्षेत्र छोडकर सरफेस मेप दर्शातें हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
21. खदान की निकटतम वन सीमा से दूरी दर्शातें हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
22. यदि प्रकरण पैसा ग्राम में स्थित है तो पैसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
23. लीज क्षेत्र का ड्रोन सर्वे/व्हिडियों ग्राफी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
24. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
25. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोडते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
26. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्वन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।

27. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6–6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
28. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।
29. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।
30. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
31. यदि प्रकरण पेसा ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
32. ओव्हर बर्डन मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

15. <u>Case No 10674/2023 Shri Nemichand Shivhare, Lessee, R/o Ward No. 16, Bhoj Mohalla, Near Sitaram Mandir, District-Sheopur (MP)-476337, Prior Environment Clearance for Prempurah Soil Quarry in an area of 2.00 ha. (2500 cum per year) (Khasra No. 38), Village-Prempura Habeli, Tehsil-Sheopur, District-Sheopur (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 07/12/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Nemichand Shivhare, Lessee (Online) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Nemichand Shivhare, Lessee, R/o Ward No. 16, Bhoj Mohalla, Near Sitaram Mandir, District-Sheopur (MP)-476337, *Prior Environment Clearance for Prempurah Soil Quarry in an area of 2.00 ha. (2,500 cum per year) (Khasra No. 38), Village-Prempura Habeli, Tehsil-Sheopur, District-Sheopur (MP)* [445177]	
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.–38,	एरिया– 2.00 ha., निजि भूमि (भू–स्वामियों से सहमति प्राप्त)
परियोजना स्थल	ग्राम– प्रेमपुरा हबेली, तहसील – श्योपुर, जिला– श्योपुर, (म.प्र.).	
सैंधातिक सहमति	पत्र क्र0. 7491 दिनांक 10/08/2023.	
परियोजना की श्रेणी	बी–2.	
खनन् कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	No Blasting Proposed (Semi-mechanized in In Soil Case).	

डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नही।
उत्पादन क्षमता	**स्वाईल – 2,500** घन मी/वर्ष।
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला श्योपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 9457 दिनांक 08/09/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें स्वीकृत नहीं है। अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला श्योपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 9457 दिनांक 08/09/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको संसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला श्योपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 9457 दिनांक 08/09/2023 अनुसार 150 मीटर की परिधि में नाला स्थित है तथा 100 मी. की दूरी पर रोड़ स्थित है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/	ग्राम पंचायत– मठेपुरा जिला – श्योपुर का ठहराव प्रस्ताव क्र0. 01 दिनांक 28/01/2023 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existing -01 (NW) Tree Felling - NO
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	उत्तर दिशा– शेड– लगभग 100 मी.
	पूर्व दिशा– पक्की रोड– लगभग 94 मी., प्राकृतिक नाला– लगभग 136 मी.
	पश्चिम दिशा– नाला – लगभग 71 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.– 21 के सरल क्रमांक – 46 पर दर्ज है।

प्रकरण के परीक्षण परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण/जानकारी चाही गई थीः–

1. **परियोजना प्रस्तावक के अनुसार** लीज क्षेत्र में क्लिन से निकलने वाली राखड़ के प्रंबंधन का विवरण प्रस्तुत करें।

2. मृदा परीक्षण (कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक एवं क्ले कन्टेन्ट) का मान्यता प्राप्त संस्थान से परीक्षण कर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
3. उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किये जाने वाले ईधन से उत्सर्जित कार्बन के आधार पर कार्बन फुट प्रिंट की जानकारी प्रस्तुत करें।
4. पूर्व दिशा में प्राकृतिक नाला लगभग 17 मी. दूरी पर है। अतः नाले के परिप्रेक्ष्य में स्थानवार मापदण्ड अनुसार सेटबेक दर्शातें हुये सरफेस मेप प्रस्तुत करें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज बैठक दिनांक 23/01/24 को प्रस्तुतीकरण में रखा गया पर्यावरण सलाहकार पर्यावरणीय सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए उपस्थित हुए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्वाईल–2500 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 7.97 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 1.94 लाख प्रति वर्ष ।
3. परियोजना प्रस्तावक 03 माह के अंदर ईधन के अन्य विकल्पों की खोज कर सिया को अवगत करेगें कम से कम 30 प्रतिशत वैकल्पिक ईधन का प्रयोग किया जायेगा।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सीइ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि.	राशि (रु. में)
ग्राम के विद्यालय विकास हेतु पालक शिक्षक संघ में उल्लेखित राशि भूप्रवेश मिलने के 3 माह के भीतर उल्लेखित राशि जमा करवादी जावेगी	**30,000/-**

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियरजोनमें	आम, जामुन, अमरुद, संतरा, कटहल, आवला, नीम, सीताफल ,कालासिरिस, सफेदसिरिस, आदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	680पौधे

2	परिवहनमार्गमें	करंज, आम, पाखर, पुत्रंजीवानीम, सिस्सू, पीपलआदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँट्री–गार्ड के साथ	70 पौधे
3	ग्राममेंस्थितआंगनवाड़ीकेन्द्रमें	करंज, आम, पाखर, पुत्रंजीवानीम, सिस्सू, पीपलआदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	50 पौधे
4	ग्रामीणोंमेंपौधोकावितरण	अमरुद, आम, जामुन, सीताफल, आमला, अनार, निम्बू, कटहल,मुनगाआदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1600 पौधे
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

16. <u>Case No 10436/2023 Shri Rajesh Agrawal, Owner, S/o Radheshyam Agrawal, House No. 444, Railway Station Road, Panchayat ke Pass, Ghoradongri, Ghora Dongri, Reet, District-Betul (MP)-460443, Prior Environment Clearance for Ghoradongri Stone Quarry in an area of 1.972 ha. (12054 cum per year) (Khasra No. 31/2, 34/1, 34/2), Village-Ghoradongri, Tehsil- Ghora Dongri, District-Betul (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का समिति की 680वीं दिनांक 15/9/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । अतएव समिति ने प्रकरण के परीक्षण उपरांत परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि ई.सी. शर्तो के अनुसार फेंसिंग, वृक्षारोपण एवं स्थायी प्रकृति का समाजिक कार्य की प्रमाणिक प्रति एवं अन्य शर्तो का शत् प्रतिशत पालन प्रतिवेदन एवं दस्तावेज, व्यय, जियो टेग फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत करें, साथ ही यह भी निर्देश दिया कि डिया की पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के अनुसार एवं प्रस्तावित योजना के अनुसार न्यूनतम 25 प्रतिशत पौधे का क्रियान्वयन प्रस्तुत करेगें, तब उनके प्रकरण पर विचार किया जायेगा ।

उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है, जो आज दिनांक 23/01/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री राजेश अग्रवाल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तो के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई ।

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तो का पालन प्रतिवेदन देखा गया –

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	**पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति**
लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	पी.पी ने बताया कि लगभग ..... पौधे लगाये है एवं .... पौधे वितरित किये है।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के साक्ष्य पाये गये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–**12054** घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 10.23 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 5.07 लाख प्रति वर्ष ।
3. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि–स्टोर किया जावें।
4. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तो का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
5. **डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तो का एवं उपरोक्तानुसार दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।**
6. अन्य शर्तो का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।

7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.65 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सीइ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि.	राशि (रु. में)
Furniture for government school of nearby village Ghodadongri.	10,000
Government PHC Hospital of nearest village Ghodadongri- • IRON Stretcher ABCO- 1 Nos @7699/- Each=7699/- • Wheel Chair (200 kg) Medimove- 2 Nos@5521/- Each=27605/- • Pulse Oximeter Contec- 2 Nos@650/- Each=1300/- • BP Instrument Dr. Morepen- 2 Nos@1100/- Each=2200/- • Bench for Hospital SS Matt 4 Seater- 1 Nos@13500/- Each=13500/-	35675
Eye/Dental awareness camp and health checkup for people and employees of village Ghodadongri.	20,000
Total	**65675/-**

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम ..... वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	खदान के बैरियर जोन में 7.5)m .X 427m (.	महारूख, सलाई, नीम, खमेर, चिरोल, करंज, एवं सीताफल हर 4 पेड़ के बीच में एक	1118
2	खदान के परिवहन मार्ग एवं मुख्य मार्ग में वृक्षारोपण (509 m) पौंधो की न्यूनतम) ऊंचाई (मीटर 01	कला सिरस, नीम, शीशम (सिस्सू), सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय | (ट्री-गार्ड के साथ)	509

3	**ग्राम घोड़ाडोंगरी** स्कूल, पंचायत एवं आगनवाडी के प्रांगण में	नीम कदम, पीपल, करंज, सीताफल एवं अशोक	148
4	**ग्राम घोड़ाडोंगरी** के ग्राम वासियों में पौंधो का वितरण	जामुन, मुनगा, सीताफल, कटहल नीबू, सीताफल एवं अमरुद	591
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का निर्णय आग्रह है।

17. <u>Case No 10697/2023 Shri Bhikham Jain, Proprietor, M/s Kusum Minerals, R/o Malviya Nagar, District-Durg (CG)-490006, Prior Environment Clearance for Bhanwartal Dolomite Quarry in an area of 2.41 ha. (33292 TPA) (Khasra No. 7), Village-Bhawartal, Tehsil-Bichhiya, District-Mandla (MP) [DEIAA]</u>

प्रस्तावित खदान का समिति 699वी बैठक दिनांक 08/12/023 को प्रस्तुतीकरण ळुआ था। प्रकरण का परीक्षण पर्यावरणीय संवेदनशील बिन्दुओं को दृष्टिगत करने के तत्पश्चात् समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण/जानकारी चाही गईः–

1. वर्तमान स्थिति में लीज क्षेत्र कितना खुद गया है इस स्थिति में बैंच सहित एवं खदान का प्रोडक्शन मेप प्रस्तुत करें।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपलोड ग्राम ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–8 सर्वे नं.–6 पर खनन् कार्य से संबंधित है जबकि पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्तावित स्थल सर्वे नं.–7 पर है, अतः ग्रामसभा का सर्वे नं.–7 का ठहराव प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

3. डिया की शर्त के अनुसार सघन वृक्षारोपण किया जाना था अतः प्रस्तावित पौधा रोपण स्कीम में सघन पौधारोपण का प्रस्ताव पौधो की संख्या शामिल करें।
4. बैरियर जोन में से ओवर बर्डन डम्प हटाकर ओवर बर्डन डम्प हेतु वैकल्पिक स्थल हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
5. प्रस्तावित क्रशर से उत्सर्जित होने वाले धूल–कणों से बचाव हेतु प्रस्ताव ईएमपी में प्रस्तुत करें।

उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है, जो आज दिनांक 23/01/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री भीकम जैन, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए उपरोक्त संबंध में दिये गये प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–**33292** घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 6.63 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 1.83 लाख प्रति वर्ष ।
3. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि–स्टोर किया जावें।
4. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तो का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
5. **डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तो का एवं उपरोक्तानुसार दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।**
6. अन्य शर्तो का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.90 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सीइ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि.	**राशि (रु. में)**
पीने के पानी की सुविधा हेतु निकटतम ग्राम भंवरताल में ग्राम पंचायत के माध्यम से हैंडपंप लगवाने साथ ही साथ कांक्रीटींग करवाकर पानी के निकासी हेतु उचित व्यवस्था तथा रिचार्ज पिट की व्यवस्था करवाई जावेगी।	**90,000/-**

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2175 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	**नीम , खमेर , कालासिरिस, सिस्सू , करंज, चिरोल , सफेद सिरिस, पीपल आदि** एवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1200पौधे
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री–गार्ड के साथ)	**नीम, सिस्सू, चिरोल, कदम्ब, करंज, पाकर, पीपल आदि** एवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँट्री–गार्ड के साथ	130 पौधे
3	ग्राम के ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण	**पुत्रंजीवा मोलश्री सिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, चिरोल आदि** एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	50 पौधे
4	ग्राम में वृक्षारोपण	**सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल , जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि।** एवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ	795 पौधे
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का निर्णय हेतु आग्रह है।

18. <u>Case No 10647/2023 Shri Sabapathy Arumugam, Authorized Person, M/s Afcons Infrastructure Private Limited, Afcon House, 16, Shah Industrial State, Veera Desai Road, Azad Nagar, Andheri West, District-Mumbai (MH)-400053, Prior Environment Clearance for Ghusiya Mal Crusher Stone Quarry in an area of 3.95 ha. (85000 cum per year) (Khasra No. 368/1, 368/2, 370), Village-Ghusiya, Tehsil-Dindori, District-Dindori (MP). T.P.-for 05 Yeras</u>

प्रकरण समिति की पूर्व की 694वीं बैठक दिनांक 31/10/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था। प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने परियोजना प्रस्तावक निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गय थेः–

1. यदि अधिग्रहित भूमि अथवा उसका कोई भाग अदिवासी व्यक्ति का हो तो क्षतिपूर्ति/मुआवजे के संबंध में निम्न प्रावधानों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावेंः–
   - म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियो को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
   - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम, 06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये।
2. यदि **खदान पेसा क्षेत्र में स्थित हो तो पेसा एक्ट के प्रावधानों के तहत् की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत करें ।**
   - पशु/जन सामान्य की सुरक्षा की दृष्टि से चारों ओर फेंसिंग लगाने हेतु प्रस्ताव दें। तदानुसार पुर्नरीक्षित ई.एम.पी. योजना ।
   - स्वाईल प्रोफाईल परीक्षण हेतु 4 से 5 पिट्स बनाने थे, जो प्रस्तुत नहीं किये जा सकें। उपरोक्त कार्य पूर्ण कर तदानुसार वृक्षारोपण योजना प्रस्तुत करें ।
   - क्षेत्र की जियो–हाईड्रोलॉजिकल अध्ययन प्रस्तुत नहीं किया गया।
   - क्षेत्र की टॉप स्वाईल आंकलन हेतु की गई गणना त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती है अतः पुर्नगणना कर प्रस्तुत करें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज दिनांक 15/12/2023 को सम्पन्न बैठक में रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक Shri Sabapathy Arumugam, Authorized Person ऑनलाईन, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, ऑनलाईन, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा) लि. नोयडा (उ.प्र.) द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई उपरोक्त जानकारी की समीक्षा की गई। अधिग्रहित भूमि अथवा उसका कोई भाग अदिवासी व्यक्ति का हो तो क्षतिपूर्ति/मुआवजे के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया उक्त संबंध में समिति ने परियोजना प्रस्तावक एवं उनके सलाहकार को निर्देश दिये कि कलेक्टर से विधिवत आदेश जारी करवा लिये जावें। खदान क्षेत्र से दक्षिण दिशा में टावर–लगभग 218 मी., आबादी उत्तर पूर्व

एवं पश्चिम दिशा में क्रमशः 460 एवं 354 मी. की दूरी पर स्थित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में क्रशर प्रस्तावित नहीं है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अन्य प्रस्तुत बिन्दु संतोष जनक पाये गयें।

बैठक मे प्रस्तुतीकरण के पश्चात परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण/जानकारी चाही गईः–

- ग्राम क्षेत्र के भू–जल स्त्रोतों का अध्ययन कर क्षेत्र के भू–जल स्तर का डेटा प्रस्तुत करें।
- समति द्वारा सुझायें अनुसार सीईआर योजना में पालक शिक्षक संघ के खाते में 03 माह के भीतर प्रस्तावित राशि जमा किये जाने का प्रस्ताव ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए उपरोक्त संबंध में दिये गये प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–85,000 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 21.41 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 4.84 लाख प्रति वर्ष ।
3. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सीइ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि.	राशि (रु. में)
घुसिया माल माध्यमिक शाला में सीलिंग 04 कंप्यूटर सिस्टम एवं 02 (पानी की टंकी के साथ) फैनटॉयलेट निर्माण	1,20,000

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)

1	बैरियर जोन	नीम,पीपल,करंज,चिरोल, खमेर, सीताफल एवं अन्य प्रजातियाँ	2000
2	परिवहन मार्ग	नीम, करंज, चिरोल एवं अन्य प्रजातियाँ	300
3	गाँव में वितरण	आम, कटहल, सीताफल, निम्बू एवं अन्य प्रजातियाँ।	2500
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

19. <u>Case No 10687/2023 Shri Ambuj Jain, Owner, House No. 472, Ward No. 13, Bagharaji, District-Dindori (MP)-482001, Prior Environment Clearance for Bhardwara Mal Stone (Gitty) Quarry in an area of 2.900 ha. (16055 cum per year) (Khasra No. 85, 89/1), Village-Bhardwara, Tehsil-Shahpura, District-Dindori (MP)-B2.</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 07/12/2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री अबुंज जैन , Lessee (Online) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार के अधिकृत प्रतिनिधि सुश्री स्वाति नामदेव, मे0. ए.जी.एस. इंवारोमेंटल सर्विसेस प्रा. लि. दिल्ली उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Ambuj Jain, Owner, House No. 472, Ward No. 13, Bagharaji, District-Dindori (MP)-482001, Prior Environment Clearance for Bhardwara Mal Stone (Gitty) Quarry in an area of 2.900 ha. (16,055 cum per year) (Khasra No. - 85, 89/1), Village-Bhardwara, Tehsil-Shahpura, District-Dindori (MP) [444311]	
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.– 85, 89/1,	एरिया– 2.900 ha., निजि भूमि (सहमति प्राप्त)

परियोजना स्थल	ग्राम– भरद्वारा, तहसील – शाहपुरा, जिला– डिण्ड़ोरी (म.प्र.).
सैंधातिक सहमति	पत्र क्र0. 151ए दिनांक 30/05/2023.
परियोजना की श्रेणी	बी–2.
जल/वायु सम्मति नवीनीकरण	**लागू नही।**
खनन् कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	Blasting is Not Needed (Mining will be carried out by using Drilling & Rock Breaker.)
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	**लागू नही।**
उत्पादन क्षमता	**Stone – 16,055 Cum / Year.,**
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिण्ड़ोरी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 153 दिनांक 30/05/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 4.90 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिण्ड़ोरी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 153 दिनांक 30/05/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिण्ड़ोरी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 153 दिनांक 30/05/2023 अनुसार नहर–300 मी.,पक्का रास्ता – 200 मी. तथा सूखा नाला – 50 मी. की दूरी पर स्थित है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/	नगर पंचायत– खरखेड़ा जिला – डिण्ड़ोरी का ठहराव प्रस्ताव क्र0. 16 दिनांक 31/01/2023 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existed- No
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	दक्षिण दिशा– पक्का रोड 75 मी., दक्षिण पूर्व दिशा– आबादी 422 मी.
	पूर्व दिशा– प्राकृतिक नाला 17 मी. दूरी पर है।
	पश्चिम दिशा– पक्का रोड 101 मी.,
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिण्ड़ोरी के पत्र क्रमांक 420 दिनांक 19/09/23 द्वारा अवगत कराया कि उक्त खदान का नाम जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के चेप्टर 13 मे समावेश कर लिया गया है। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक

	1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।
शिकायत पत्र के संबंध में टीप	MPSEIAA कार्यालय के पत्र क्रमांक 1973/SEIAA/2023 दिनांक 19/09/23 द्वारा स्वीकृत लीज/पर्यावर्णीय स्वीकृति हेतु आवेदन मे फर्जी ग्रामसभा प्रस्ताव व ग्राम पंचायत का अनापत्ति लगाये जाने की शिकायत–पत्र प्रेषित कर लेख किया गया है।

समिति ने परीक्षण के दोरान पाया कि **MPSEIAA कार्यालय के पत्र क्रमांक 1973/SEIAA/2023 दिनांक 08/11/23 के माध्यम से एक शिकायत सेक कार्यालय को पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेषित की गई है। शिकायत में उललेख है कि :–**

- **प्रस्तावित परियोजना हेतु जारी ग्रामसभा प्रस्ताव में अध्यक्ष श्री अघनू सिंह मसराम के अंगूठा चिन्ह के निशान लगायें गये है जो कि फर्जी है।**
- **सभा अध्यक्ष एवं ग्रामवासियों को आपत्ति है क्यों कि उक्त स्थान जल संसाधन द्वारा बनाई गई मेन केनाल 30 मी. पर स्थित है। मेन केनाल से माइनर पक्की नहर खसरा न. 89/1 चारों तरफ निकली हुई है जिससें ग्रामवासियों के खेत में पानी जाता है। यदि क्रशर के लिये अनुमति दी जाती है तो इससें तो इससें केनाल क्षतिग्रस्त हो सकती है तथा ग्रामवासीयों को सिचाई हेतु पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हो पायेगा।**
- **एमपीआरडीसी सडक, 90 मी. की दूरी पर स्थित है जिससे मुख्य मार्ग में प्रदूषण फैलने की संभावना है। उक्त खसरे के पीछे की तरफ 20 मीटर में नाला स्थित है जिसमें पशुओं के पीने के लिये पानी का भराव रहता है।**

प्रकरण पर चर्चा के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि :–

- पक्का रोड लगभग 75 मी., परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है। अतः उनके द्वारा 25 मी. का सेटबेक प्रस्तुत किया गया है।
- लीज क्षेत्र के पूर्व दिशा में एक प्राकृतिक नाला लगभग 17 मी. दूरी पर स्थित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान सिया से प्राप्त शिकायत की प्रति मांगने पर समिति द्वारा उपलब्ध करा दी गई। **प्रकरण के परीक्षण उपरांत परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण/जानकारी चाही गई थीः–**

1. लीज क्षेत्र के पूर्व दिशा में प्राकृतिक नाला लगभग 17 मी. दूरी पर है। अतः नाले के परिप्रेक्ष्य में स्थानवार मापदण्ड अनुसार सेटबेक दर्शातें हुये सरफेस मेप प्रस्तुत करें।
2. फार्म–1 अनुसार Blasting is Not Needed (Mining will be carried out by using Drilling & Rock Breaker.) जब कि

3. प्राप्त शिकायत जिसमें उल्लेख है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु जारी ग्रामसभा प्रस्ताव में अध्यक्ष श्री अघनू सिंह मसराम के अंगूठा चिन्ह के निशान लगायें गये है जो कि फर्जी है के संबंध में तहसीलदार से प्रमाणित करवाकर जानकारी प्रस्तुत करें।
4. शिकायत के अनुसार जल संसाधन द्वारा बनाई गई मेन केनाल 30 मी. पर स्थित है। मेन केनाल से माइनर पक्की नहर खसरा न. 89/1 चारों तरफ निकली हुई है जिससें ग्रामवासियों के खेत में पानी जाता है। इस संबंध में तथ्यों के आधार पर केनाल सेफ्टी हेतु प्रस्ताव के साथ विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करें।
5. प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान (गूगल एमेज अनुसार) समिति ने पाया था कि खदान के समीपस्थ उत्तर पूर्व दिशा में एक खदान संचालित दिख रही है, इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय संरक्षण संबंधी कार्य होना दृष्टिगोचर नहीं हो रहें है। अतः इसकी जांच संबंधित खनिज अधिकारी से जांच करवाकर प्रस्तुत करें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज दिनांक 15/12/2023 को सम्पन्न बैठक में रखा गया, जिसमें पर्यावरणीय सलाहकार के अधिकृत प्रतिनिधि सुश्री स्वाति नामदेव, उपस्थित हुई जिनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

- लीज क्षेत्र के पूर्व दिशा मे ं 17 मीटर पर जो प्राकृतिक नाला बताया गया है वह खसरे ं मे ं निजी भूमि है। जिसमे ढलान होने के कारण बारिश के दिनों में प्राकृतिक रूप से जल बहाव होता है।
- चूकि हमारा लीज क्षेत्र भी निजी है इसलीए हमने उक्त क्षेत्र से नियम अनुसार 7.5 मीटर सहित 33 मिटर का सेटबेक दिया हुआ है। जिसमे 03 रो में वृक्षारोपण करेगे जो ई.एम.मी / सरफेस मेप मे ं दर्शाया गया है।
- फार्म–1 के अनुसार हमने मोडिफाईड माईनिंग प्लान अप्रुवल लेटर सहित PDF फार्म मे ं संलग्न किया है। जिसमे ं कि Introduction Page No 1 and Chapter No 3 Page No 25 ij Blasting and Explosive are not required दिया गया है।
- शिकायत मे ं कहा गया है कि प्रस्तावित परियोजना के ग्राम सभा प्रस्ताव मे ं अध्यक्ष श्री अघून सि ंह मसराम के अंग ूठे चिन्ह के निशान फर्जी है यह शिकायत पूर्णतः गलत है क्योकि श्री अधून सि ंह मसराम जी द्वारा दिनांक 14/12/2023 को भोपाल मे स्वयं ओरिजनल ग्राम सभा प्रस्ताव का रजिस्टर एवं दो सदस्यो ं सहित उपस्थित होकर कमेटी के समक्ष बयान दिये है कि यह ग्राम सभा प्रस्ताव पूर्णतः सही एवं सत्य है।
- शिकायतकर्ता गलत है बयान कि चूकि कमेटी के समक्ष बयान हो जाने एवं ओरिजनल रजिस्टर दिखाये जाने के बाद कमेटी के अनुसार तहसीलदार के प्रमाणिकरण कि आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

- शिकायत के अनुसार जल संसाधन द्वारा बनाई गई मेन केनाल 30 मी. पर स्थित है मेन कनोल से माइनर पक्की नहर खसरा नं. 89/1 चारों तरफ निकली हुई है। यह शिकायत गलत है क्योकि 89/1 तीन तरफ कोई केनाल नहीं है लीज क्षेत्र के पूर्व दिशा मे ं यह केनाल 260 मीटर दूरी पर है।
- समिति ने पाया था कि खदान के समीपस्थ उत्तर पूर्व दिशा मे ं एक खदान संचालित दिख रही है, इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र मे ं पर्यावरणीय संरक्षण संबंधी कार्य होना दृश्टिगोचर नहीं हो रहें है। अतः इसकी जांच संबंधित खनिज अधिकारी से जांच करवाकर प्रस्तुत करे ं। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि चूकि ये खदान जिसका आपने उल्लेख किया है इस खदान का प्रस्तुतिकरण डीया टू सिया केस मे ं केस नं 10752 दिनांक 28/12/2023 सिरियल नं 09 मीटिंग नं 706 परियोजना प्रस्तावक श्री संदीप राय जी द्वारा आपकी कमेटी के समक्ष प्रस्तुतिकरण किया गया है इस केस कि शिकायत भी श्री अधून सि ंह मसराम (ग्राम सभा अध्यक्ष पेसा एक्ट कमटी) के द्वारा स`क एवं सिया कमेटि मे ं लिखित मे ं कि गई है ।
- दिनांक 14/12/2023 को ग्राम सभा **हरद्वारा के अध्यक्ष श्री अघनू सिंह मसराम स्वयं ग्रामसभा ठहराव प्रस्ताव की मूल पंजी व पंजी के साथ उपस्थित हुये इन लोगों के कथनानुसार सिया/सेक में प्रस्तुत ग्राम सभा ठहराव की प्रति वास्तविक है, एवं इसमें समस्त हस्ताक्षर एवं अंगूठा चिन्ह भी सही है, अतः शिकायत में उक्त बिन्दु पूर्णतः असत्य है।**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए उपरोक्त संबंध में दिये गये प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–16,055 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 11.04 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 1.18 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सीइ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि.	राशि (रु. में)
सी.ई.आर मद से 70,000 की राशी शासकीय मध्यमिक शाला ग्राम भरद्वारा माल के पालक शिक्षक संघ समिति के खाते में शाला विकास कार्य हेतु जमा की जावेगी।	**70,000/-**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3600 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	**बैरियर जोन मे वृक्षारोपण**	आम, अमरूद, जामुन, कटहल, मुनगा, सीताफल, एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियां	**900**
2	**ग्रामवासियों में वितरण हेतु**	**सीताफल, आवलाँ,अमरुद, मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां**	**2250**
3	**परिवहन मार्ग के दोनों तरफ 1 पेड़ों की न्यूतम ऊंचाई) (मीटर**	**करंज, कदम , चिरोल, जंगल जलेबी ,** अमलताश, गुलमोहर **एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां**	**450**
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

20. <u>Case No 10574/2023 M/s Samdariya Builders (Bhopal) Private Limited, Owner, House No. 16, Sunarhaai Chowk, Sarafa Bazar, Samdariya Abhushan Bhandar, Sarafa, Sarafa ward, Jabalpur, Prior Environment Clearance for Samdariya Gold Project in an area of 5.589 ha. (55890 Sq.M.), Tehsil-Huzur, District-Bhopal (MP).B-2</u>

Earlier the case was presented in the SEAC 691st meeting dated 18.10.2023 wherein after presentation the committee has sought following information along with the supporting documents from the PP & their consultant –

1. Clarify the clause of the agreement made with Railways regarding the payment of lease rent to Railways i.e. whether the lease rent shall be paid by the purchaser of the property or by the developers.
2. Water requirement during construction phase – please clarify the quantum and the vendor or supplier of the water.
3. Water balance during operation phase clarifying the quantum of treated waste-water to be re-cyled.
4. Detailed proposal for dual plumbing so as to use the treated sewage in flushing.
5. Proposal for Solar power generation / use shall be enhanced to 30% of the total power requirement in the industry.
6. CER activities to be revised & re-submitted as per the provisions of MoEF & CC.
7. Regarding approval of lay-out by the T&CPO it was submitted by the PP that a letter has been written by the T&CPO seeking comments from railways on applicable provisions of Railway Acton this project. The response received from Railway to be furnished.
8. Revised plantation scheme to be submitted with provision of Green cover area 25%.

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर दिनांक 08/11/23 को अपलोड कर दी गई है, प्रकरण आज दिनांक 14/12/23 को समिति के समक्ष रखा गया जिसमें परियोजना प्रस्तावक सी.जे.पी. व्यवहार और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री वरूण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित परियोजना के लिये जल की आपूर्ति वेंडर (सुविधा वाटर सप्लायर्स) के द्वारा की जावेगी।

बैठक मे प्रस्तुतीकरण के पश्चात परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण/जानकारी चाही गईः–

- स्पष्ट करें कि जल की आपूर्ति हेतु नियुक्त वेंडर (सुविधा वाटर सप्लायर्स) नगर निगम से अधिकृत है या नहीं।
- प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले एसटीपी का स्पेशिफिकेशन(साईज एवं क्षमता) प्रस्तुत करें।
- प्रस्तावित परियोजना के प्रत्येक ब्लॉक में स्टाफ एवं आगन्तुकों के लिये जनसुविधाओं का प्रस्ताव बजट के साथ ईएमपी में शामिल कर प्रस्तुत करें।
- प्रस्तावित परियोजना के लिये हरित पट्टी के विकास का प्रस्ताव ले आउट में दर्शातें हुये बजट के साथ ईएमपी में शामिल कर प्रस्तुत करें।

- समिति द्वारा सुझायें गई सीईआर योजना जिसमें माधवराव स्प्रे संग्राहलय में अद्योसंरचना विकास एवं पर्यावरण जागरूकता अभियान, सलैया स्कूल में अद्योसंरचना विकास एवं कौशल दक्षता विकास, वन विहार हेविटेट डेव्हलेपमेन्ट, एकलव्य आवासीय स्कूल (शाहपुरा थाने के पास, भोपाल) में अद्योसंरचना विकास एवं कौशल दक्षता विकास आदि प्रस्ताव में शामिल कर प्रस्तुत करे।

PP has submitted the response on above quarries on Ministry's Parivesh Portal, which was presented before the committee in the afternoon session. The query reply was submitted by Env.consultant Ms. Rashmi Saraswat the submissions made by the PP were found to be satisfactory and acceptable hence the case was recommended for grant of **Prior Environment Clearance for Samdariya Gold Project in an area of 5.589 ha. (55890 Sq.M.), Tehsil-Huzur, District-Bhopal (MP). Cat. 8(a) subject to the following special conditions:**

Statutory Compliance

i. The project proponent shall obtain all necessary clearance/permission from all relevant agencies including town planning authority before commencement of work. All the construction shall be done in accordance with the local building byelaws.
ii. The approval of the Competent Authority shall be obtained for structural safety of building due to earthquakes, adequacy of firefighting equipment etc as per National Building code including protection measures from lightening etc.
iii. The project proponent shall obtain Consent to Establish/Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State Pollution Control Board/Committee.
iv. The project proponent shall obtain the necessary permission for drawl of ground water/surface water required for the project from the competent authority.
v. A certificate of adequacy of available power from the agency supplying power to the project along with the load allowed for the project should be obtained.
vi. All other statutory clearances such as the approvals for storage of diesel from Chief Controller of Explosives, Fire Department, Civil Aviation Department shall be obtained, as applicable, by project proponents from the respective competent authorities.

vii. The provisions for the solid Waste (Management) Rules, 2016, e-Waste (Management) Rules, 2016, and the Plastics Waste (Management) Rules, 2016 shall be followed.

viii. The project proponent shall follow the ECBC/ECBC-R prescribed by Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power Strictly.

ix. The project area shall be secure through boundary wall and excavated top soil shall not be used in filling of low lying area. The top soil shall be used for greenery development.

II. Air Quality Monitoring and preservation

i. Notification GSR 94(E) dated: 25/1/2018 MoEF & CC regarding Mandatory implementation of Dust Mitigation Measures for Construction and Demolition Activities for project requiring Environmental Clearance shall be complied with.

ii. A management plan shall be drawn up and implemented to contain the current exceedance in ambient air quality at the site.

iii. Diesel power generating set proposed as source of backup power should be of enclosed type and conform to rules made under the Environment (Protection) Act, 1986. The height of stack of DG sets should be equal to the height needed for the combined capacity of proposed DG set. Use of low sulphur diesel. The location of the DG sets may be decided with in consultation with State Pollution Control Board.

iv. Construction site shall be adequately barricaded before the construction begins. Dust, smoke & other air pollution prevention measures shall be provided for the building as well as the site. These measures shall include screens for the building under construction, continuous dust/ wind breaking wills all around the site plastic/tarpaulin sheet covers shall be provided for vehicles bringing in sand, cement, Murram and other construction materials prone to causing dust polluting at the site as well as taking out debris from the site.

v. Sand, Murram, loose soil, cement, stored on site shall be covered adequately so as to prevent dust pollution.

vi. Wet jet shall be provided for grinding and stone cutting.

vii. Unpaved surface and loose soil shall be adequately sprinkled with water to suppress dust.

viii. All construction and demolition debris shall be stored at the site (are not dumped on the roads or open spaces outside) before they are properly disposed. All demolition and construction waste shall be managed as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Rules, 2016.

ix. The diesel generator sets to be used during construction phase shall be low sulphur diesel type and shall conform to Environmental (Protection) prescribed for air and noise emission standards.

x. The gaseous emission from DG sets shall be dispersed through adequate stack height as per CPCB standards. Acoustic enclosure shall be provided to the DG sets to mitigate the noise pollution. Low sulphur diesel shall be used. The location of the DG set and exhaust pipe height shall be as per the provisions of the Central Pollution Control Board (CPCB) norms.

xi. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.

III. Water quality monitoring and preservation

i. The natural drain system should be maintained for ensuring unrestricted flow of water. No construction shall be allowed to obstruct the natural drainage through the site, on wetland and water bodies. Check dams, bio-swales, landscape and other sustainable urban drainage systems (SUDS) are allowed for maintaining the drainage pattern and to harvest rain water.

ii. Buildings shall be designed to follow the natural topography as much as possible Minimum cutting and filling should be done.

iii. The quantity of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The record shall be submitted to the Regional Office, MoEF & CC along with six monthly Monitoring reports.

iv. A certificate shall be obtained from the local body supplying water, specifying the total annual water availability with the local authority, the quantity of water already committed the quantity of water allotted to the project under consideration and the balance water available. This should be specified separately for separately for ground water and surface water sources, ensuring that there is no impact on other users.

v. At least 20% of the open spaces as required by the local building bye-laws shall be previous. Use of Grass pavers, paver blocks with at least 50% opening, landscape etc. would be considered as previous surface.

vi. Installation of dual pipe plumbing for supplying fresh water for drinking, cooking and bathing etc and other for supply of recycled water flushing, landscape irrigation, car washing, thermal cooling, conditioning etc. shall be done.

vii. Use of water saving devices/fixtures (Viz. low flow flushing systems; use of low flow faucets tap aerators etc) for water conservation shall be incorporated in the building plan.

viii. Separation of grey and black water should be done by the use of dual plumbing system. In case of single stack system separate recirculation lines for flushing by giving dual plumbing system be done.

ix. Water demand during construction should be reduced by use of pre-mixed concrete, curing agents and other best practices referred.

x. The local bye-law construction on rain water harvesting should be followed. If local by-law provision is not available, adequate provisions for storage and recharge should be followed as per the Ministry of Urban Development Model Building bylaws, 2016. Rain water harvesting recharge pits/storage tanks shall be provided for ground water recharging as per the CGWB norms.

xi. A rain water harvesting plan needs to be designed where the recharge bores of minimum one recharge bore per 5,000 square meter of built up area and storage capacity of minimum one day of total fires water requirement shall be provided. In areas where ground water recharge is not feasible, the rain water should be harvested and stored for reuse. The ground water shall not be withdrawn without approval from the Competent Authority.

xii. For rainwater harvestingrecharge pits will be constructed.

xiii. Mesh will be provided at the roof so that leaves or any other solid waste/debris will be prevented from entering the pit.

xiv. The RWH will be initially done only from the roof top. Runoff from green and other open areas will be done only after permission from CGWB.

xv. All recharge should be limited to shallow aquifer.

xvi. No ground water shall be used during construction phase of the project.

xvii. Any ground water dewatering should be properly managed and shall conform to the approvals and the guidelines of the CGWA in the matter. Formal approval shall be taken from the CGWA for any ground water abstraction or dewatering.

xviii. The quality of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The recorded shall be submitted to the Regional Office, MoEF & CC along with six monthly Monitoring report.

xix. Sewage shall be treated in the MBBR based STP. The treated effluent from STP shall be recycled/re-used for flushing and gardening. As proposed, no treated water shall be disposed in to municipal drain.

xx. The waste water generated from the project shall be treated in STP of 510 KLD capacity (based on MBBR based technology) and then reused for various purposes.

No water body or drainage channels are getting affected in the study area because of this project.

xxi. No sewage or untreated effluent water would be discharged through storm water drains.

xxii. Periodical monitoring of water quality of treated sewage shall be conducted. Necessary measures should be made to mitigate the odour problems from STP.

xxiii. Sludge from the onsite sewage treatment including septic tanks, shall be collected, conveyed and disposed as per the Ministry of Urban Development, Control Public Health and Environmental Engineering Organization (CPHEEO) Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013.

IV. **Noise monitoring and prevention**

i. Ambient noise levels shall conform to residential area/commercial area/industrial area/silence zone both during day and night as per Noise Pollution (Control and Regulation) Rules, 2000. Incremental pollution loads on the ambient air and noise quality shall be closely monitoring during construction phase. Adequate measures shall be made to reduce ambient air and noise level during construction phase, so as to conform to the stipulated standards by CPCB/SPCB.

ii. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Regional Officer of the Ministry as a part of six-monthly compliance report.

iii. Acoustic enclosures for DG sets, noise barriers for ground run bays, ear plugs for operating personnel shall be implemented as mitigation measures for noise impact due to ground sources.

V. Energy Conservation measures.

i. Compliance with the Energy Conservation Building Code (ECBC) of Bureau of Energy Efficiency shall be ensured, Building in the State which have notified their own ECBC, shall comply with the State ECBC.

ii. Outdoor and common area lighting shall be LED.

iii. Concept of passive solar design that minimize energy consumption in buildings by using design elements, such as building orientation, landscaping, efficient building envelope, appropriate fenestration, increased day lighting design and thermal mass etc. shall be incorporated in the building design. Wall, window, and roof u-values shall be as per ECBC specifications.

iv. Energy Conservation measures like installation of CFls/LED's for the lighting the area outside the building should be integral part of the project design and should be in place before project commissioning.

v. Solar, wind or other renewable energy shall be installed to meet electricity generation equivalent to 1% of the demand load or as per the state level /local building bye-laws requirement, which is higher.

vi. Solar power shall be used for lighting in the apartment to reduce the power load on grid. Separate electric meter shall be installed for solar power. Solar water heating shall be provided to meet 20% of the hot water demand of the commercial and institutional building or as per the requirement of the local building bye-laws, whichever is higher. Residential buildings are also recommended to meet its hot water demand from solar water heaters, as far as possible.

VI. **Waste Management**

i. Organic waste and non- organic waste, E- waste, and all type of waste shall be treated/ disposed off as per provision made in the MSW Rules 2016/ E-waste rules etc.

ii. A certificate from the competent authority handling municipal solid wastes, indicating the existing civic capacities of handling and their adequacy to cater to the MSW generated from project shall be obtained.

iii. Disposal of muck during construction phase shall not create any adverse effect on the neighboring communities and be disposed taking the necessary precautions for general safety and health aspects of people, only in approved sites with the approval of competent authority.

iv. Separate wet and dry bins must be provided in each unit and at the ground level for facilitating segregation of waste. Solid waste shall be segregated into wet garbage and inert materials.

v. All non-biodegradable waste shall be handed over the authorized recyclers for which a written lie up must be done with the authorized recyclers.

vi. Any hazardous waste generated during construction phase, shall be disposed off as per applicable rules and norms with necessary approvals of the State Pollution Control Board.

vii. Use of environment friendly materials in bricks, blocks and other construction materials, shall be required for at least 20% of the construction materials quantity. These include fly ash brick, hollow bricks, AACs, Fly Ash Lime Gypsum block, compressed earth blocks and other environmental friendly materials.

viii. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provisions of Fly Ash Notification of September, 1999 and amended as on 27th August, 2003 and 25th January, 2016 Ready mixed concrete must be used in building construction.

ix. Any wastes from construction and demolition activities related thereto small be managed so as to strictly conform to the construction and Demolition Rules, 2016.

x. Used CFLs and TFLs should be properly collected and disposed off/sent for recycling as per the prevailing guidelines/rules of the regulatory authority to avoid mercury contamination.

VII. **Green Cover**

i. Total green area measuring 6147.9 m^2 i.e. 11 % + 4 % additional plantation on periphery i.e. 2235.6 m^2 total 8383.5 m^2 which is 15% of the net Plot area is being provided within project site that will provide 25% green cover for the project .

The details of trees is shown below in Table

1.	Total green/open area	8383.5 m2 (15 %)
2.	Total Periphery length	1320 M.
3.	Trees on periphery	145
4.	Trees on other areas	200
Total Trees		345

S.No.	Common Name	Biological Name
1.	Bottle Palm	Hyophorbe lagenicaulis
2.	Sausage Tree	Keijellia Pinnata
3.	Kussum	Schleichera oleosa
4.	Amamltas	Cassia fistula
5.	Palas	Butea Monospermous

6.	Keolar	Bauhinia Purpurea
7.	White Frangipani	Plumeria Alba
8.	Kachnar	Bauhinia Variegata
9.	Mango tree	Mangifera Indica
10.	Pride of India	Lagerstroemia Speciosa
11.	Golden Rain Tree	Koelreuteria Pediculate
12.	Fishtail Plam	Caryota
13.	Ashoka Tree	Saraca Asoca
14.	Wood Apple/ Bael Tree	Aegle Marmelos
15.	Neem Tree	Azadirachta Indica

ii. No tree can be felled/transplant unless exigencies demand. Where absolute necessary, tree felling shall be with prior permission from the concerned regulatory authority. Old trees should be retained based on girth and age regulations as may be prescribed by the Forest Department. Plantations to be ensured species (cut) to species (Planted).

iii. A minimum of 1 tree for every 80 sqm of land should be planted and maintained. The existing trees will be counted for this purpose. The landscape planning should included plantation of native species. The species with heavy foliage, broad leaves and wide canopy cover are desirable. Water intensive and/or invasive species should not be used for landscaping.

iv. Where the trees need to be cut with prior permission from the concerned local Authority, Compensatory plantation in the ratio of 1:10 (i.e. planting of 10 trees for every 1 tree that is cut) shall be done and maintained. Plantations to be ensured species (cut) to species (planted). Area for green belt development shall be provided as per the details provided in the project document.

v. Topsoil should be stripped to depth of 20 cm from the areas proposed for buildings, roads, paved areas, and external services. It should be stack plied appropriately in

designated areas and reapplied during plantation of the proposed vegetations on site.

VIII **Transport**

i. A comprehensive mobility plan, as per MoUD best practices guidelines (URDPFI), shall be prepared to include motorized, non-motorized, public and private network. Road should be designed with due consideration for environment and safety of users. The road system can be designed with these basic criteria.

   a. Hierarchy of roads with proper segregation of vehicular and pedestrian traffic
   b. Traffic calming measures.
   c. Proper design of entry and exit points
   d. Parking norms as per local regulation

ii. Vehicles hired for bringing construction material to the site should be in good condition and should have a pollution check certificate and should conform to applicable air and noise emission standards be operated only during non-peak hours.

iii. Adequate provision will be made for car/vehicle parking at the project site. There shall also be adequate parking provisions for visitors so as not to disturb the traffic and allow smooth movement at the site.

iv. A detailed traffic management and traffic decongesting plan shall be drawn up to ensure that the current level of service of the road within a 05 Kms radius of the project as maintained and improved upon after the implementation of the project. This plan should be based on cumulative impact of the development and increased habitation being carried out or proposed to be carried out by the project or other agencies in this 05 Kms radius of the site in different scenarios of space and time and the traffic management and the PWD/competent authority for road augmentation and shall also have their consent to the implementation of components of the plan which involve the participation of these departments.

IX. Human health issues

i. All workers working at the construction site and involved in loading, unloading, carriage of construction material and construction debris or working in any area with dust pollution shall be provided with dust mask.

ii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.

iii. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implementation.
iv. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile, STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
v. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis.
vi. A First Aid Room shall be provided in the project both during construction and operations of the project.

X. EMP **Corporation Environment Responsibility**

i. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated: 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility.
ii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approved by the Board of Directors. The Environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balance and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental/forest/wildlife norms/conditions. The company shall have defined system of reporting infringements/deviation/violation of the Environmental/forest/wildlife norms/conditions and/or shareholders/stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six monthly reports.
iii. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.
iv. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six Monthly Compliance Report.
v. For Environment Management Plan PP has proposed Rs.51.00 Lakhs as capital and Rs. 15.755 Lakhs as recurring cost for this project (in the Constructional Phase).
vi. For this project PP has proposed Rs 60.00 Lakhs as Corporate Environment Responsibility (CER) for remaining project component.

CER BUDGET		
1	Fund for Madhav Rao Sapre Sanghralaya at Opposite, Main Rd No. 3, Patrakar Colony, Maulana Azad National Institute of Technology, Bhopal, Madhya Pradesh 462007	Rs. 5.0 Lakh
2	Fund for Eklavya Vidyalaya Development and Need based development fund for nearby Govt. Schools	Rs. 15 Lakh
3	For Van Vihar development Fund *(It will be done within first quarter after obtaining EC include 1 to 3)*	Rs. 10 Lakhs
	Total	Rs. 30 lakhs
ALL CER Fund will Be Implemented within the first five years of the project.		
We also confirm that apart form our site, we have proposed infrastructure development of the adjacent area *(under the part of Railway redevelopment additional land)* including solar light, drinking water facilities, toilets, plantation and approach way and footpath under the CER activities**.**		
Fund for infrastructure development of the adjacent area including solar light, drinking water facilities, toilets, plantation and approach way and footpath under the CER activities.		Rs. 30 lakhs
Total		60 Lacs
Grand Total		**60.00 Lacs**

XI. Miscellaneous

i. The project authorities must strictly adhere to the stipulation made by the MP Pollution Control Board and the State Government.

ii. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee (SEAC)

iii. No further expansion or modification in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).

iv. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

v. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

21. Case No 9693/2023 Shri Lokendra Rathore S/o Suraj Narayan Rathore, Owner, R/o Ratan Colony, Jiwajiganj Gird, Tehsil-Lashkar, District-Gwalior (MP)-474001, Prior Environment Clearance for Jakhoda Flag Stone Quarry in an area of 1.500 ha. (5000 Cum per annum) (Khasra No. 954), Village-Jakhoda, Tehsil-Ghatigaon, District-Gwalior (MP)-EIA.

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 23/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Lokendra Rathore** ऑनलाईन, एवं उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पांडा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट साल्यूशन इंडिया प्रा.लि.गाजियाबाद (उ.प्र) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

S N	Projects Details	
1.	Name of the project/ Company/ Organisation.	Shri Lokendra Rathore S/o Suraj Narayan Rathore, Owner, R/o Ratan Colony, Jiwajiganj Gird, Tehsil-Lashkar, District-Gwalior (MP)-474001,
2.	Name of the Applicant and Address.	*Prior Environment Clearance for Jakhoda Flag Stone Quarry in an area of 1.500 ha. (5000 Cum per annum) (Khasra No. - 954), Village-Jakhoda, Tehsil-Ghatigaon, District-Gwalior (MP).*
3.	Env. Consultant:	Shri Krishna Chandra Panda, M/s Oceao Enviro Management Solutions (India) Pvt. Ltd.(U.P.).

		Valid up to 04/ 08, 24.		
4.	Khasra No. / Lease Area (Govt. or Private).	Kh No. - 954,	**1.500 Ha.**	Govt. Land.
5.	Location of Project	Khasra No. - 954, Village-Jakhoda, Tehsil-Ghatigaon, District-Gwalior (M.P.).		
6.	ToR Status.	ToR Recommended in 631st SEAC Meeting dated 18/03/2023. ToR letter issued by MPSEIAA vide letter No. 121 dated 17/04/2023.		
7.	Project Cost Rs.	50 Lakh.		
8.	Production Quantity in m3/year.	Flage Stone - 5000 Cubic Meter/Year,		
9.	Date of Public Hearing.	16/08/2023.		
10.	Google image status	Cordinates as per Mine Plan Page No. – 9.		
Documentary Details				
11.	M.O. Certificate (within 500 Meter details)/ Ekal Praman Patra.	Collector Office Letter (Ekal Praman Patra) No. 26 date 03/01/23. 03 more mine Total Area – 7.320 ha.		
12.	Lease Sanction Order/ Agreement / LoI.	Ordet No. 1319 date 20/12/2022.		
13.	Tehsildar Certificate.	Collector Office Letter (Ekal Praman Patra) No. 26 date 03/01/23.		
14.	DFO NOC.	Collector Office Letter (Ekal Praman Patra) No. 26 date 03/01/23.		
15.	Gram Sabha Tharav Prastav/ NOC (GP).	Letter No. 05 dated 15/07/2021.		
16.	Production Quantity as per Approved Mining Plan.	Flage Stone - 5000 Cubic Meter/Year,		
17.	DSR:	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के पत्र क्र0. 26 दिनांक 03/01/2023 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे जोड ली जावेगी। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।		
18.	गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र में कुछ पेड लगे है । खदान के दक्षिण–पूर्व दिशा में लगभग 253 मीटर की दूरी पर बांध स्थित है एवं उत्तर दिशा– कच्चा रोड– लगभग 29 मी. पर है।		

प्रकरण का परीक्षण

समिति ने प्रकरण के परीक्षण के दोरान पाया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान कार्यालय ग्राम पंचायत, जाखौदा, जनपद पंचायत घाटीगांव (बरई), जिला ग्वालियर द्वारा आपत्ति दर्ज की है। पत्र में उल्लेख है कि उक्त खदानों के संचालन से बांध एवं नहर की क्षति संभव है, जिससे जाखौदा एवं आस पास के ग्रामीणों को जनहानि होगी बांध की सुरक्षा को देखते हुये इससे पूर्व भी माननीय हाईकोर्ट द्वारा क्षेत्र की खदाने बंद कर दी गई थी।

प्रकरण का परीक्षण पर्यावरणीय संवेदनशील बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुये किया गयां तत्पश्चात् परीक्षण उपरांत समिति द्वारा **परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण/जानकारी चाही गई थीः–**

1. उपरोक्त शिकायत के संबंध में स्प्ष्टीकरण के साथ विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करे।
2- गारलैण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की साईज की स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत की जायें।
3- 05 वर्ष का सरफेस प्लान बैंच सहित एवं खदान का कान्सेप्चुवल प्लान प्रस्तुत करें।
4- क्षेत्र की हाइड्रोजियोलॉजिकल रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर को अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज बैठक दिनांक 23/01/24 को प्रस्तुतीकरण में रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार पर्यावरण सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पांडा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट साल्यूशन इंडिया प्रा.लि.गाजियाबाद (उ.प्र) उपस्थित हुए।

परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त बिन्दुओं पर निम्न स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया :–

- According to High Court vide letter no. 1284 and Gwalior Collector Office vide letter no Q.L.-54/2005, Gwalior, dated: 02/2016 claim that the allegations are related to Khasra no. 951, 952, and 950. This is not related to Khasra no. 954 (M/s Rathore Stone Industries). For above reference, H"ble High Court order and Gwalior Collector Office letter submitted.
- As per approved mine plan, ground water level of this area is at 280 RL and proposal of mining (up to conceptual period) is up to RL 314m. Water table is in the range of 45-50m. Letter from Public Health Engineering Department, Gwalior District dated 14/12/2023 has confirmed that present the ground level is in the range of 45-50 meters. Hence, Geo-hydrological report is not required.

समिति ने प्रस्तुतीकरण के दौरान शिकायत पर चर्चा की गई एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आर्डर (केस क्रमांक 1284/1994 दिनांक 19/10/1994) को प्रस्तुत किया गया। पीपी समिति को अवगत कराया कि माननीय उच्च न्यायालय आर्डर खसरा न0 950 के लिये है जबकि उनकी खदान खसरा न. 954 में स्थित है। खसरा न. 954 में स्थित खदान की दूरी का निम्न संवेदनशील घटको से दूरी का परीक्षण किया गया जो निम्नानुसार है।

क्रमांक	संवेदनशील घटको से खदान की दूरी	खसरा न. 954 में स्थित खदान
1-	बांध	288 मी.
2-	न्हर	300 मी.
3-	नाला	52 मी.

परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि फर्सी पत्थर होने के कारण ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता फ्लेग स्टोन पत्थर–5000 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 15.68 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 3.41 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सीइ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि.	राशि (रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय माध्यमिक विद्यालय जखौदा के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशी जमा कराई जाएगी।	60,000
Total CER Cost	**60,000**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	Barrier Zone	Sisam, Neem, Karanj, Jungle Jalebi, Khamer, Chirol, Khamer etc.	503
2	Approach road (Minimum Height 1 m)	Kadam, Chirol,Kachnar,Neem,peeple and others	715
3	Distribution in farmers	Mango, Munaga, custard apple, jamun, Amrud etc.	582
			1800

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

22. <u>Case No 10755/2023 Sarla Jain, Owner, R/o Village-Baghraji, Tehsil-Kundam, District-Jabalpur (MP)-482001, Prior Environment Clearance for Bilsara Stone – 20,525 cum per year & Murram Quarry – 6000 in an area of 3.35 ha. (Khasra No. 321, 322, 394), Village-Bilsara, Tehsil-Kundam, District-Jabalpur (MP)</u>

प्रस्तावित खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 23/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक **<u>Sarla Jain, Online</u>** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.एस.जी. इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि., दिल्ली उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Smt. SARLA JAIN, owner, Village- Baghraji, Tehsil - Kundam, District- Jabalpur (M.P.)

खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	321, 322, 394 (निजी–नॉन फॉरेस्ट लेंड परियोजना प्रस्तावक को भू–स्वामी को प्राप्त है)	3.35 hectare.
स्थल	ग्राम BILSARA तसहील Kundam जिला Jabalpur (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के पत्र क्रमांक 481 दिनांक 06/07/2023 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेकट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर एवं मुरम–29,275 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–23,275 घनमीटर/वर्ष एवं मुरम–6,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 540 दिनांक 17/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 540 दिनांक 17/07/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र नहीं है । प्रस्तावित खदान 250 मीटर की परिधि में होने के कारण नारंगी वन क्षेत्र क्रमांक ओ. 704 से 50 मीटर की दूरी तक प्रतिबंधित क्षेत्र में वृक्षारोपण करने तथा खदान स्वीकृति की दशा में वन, राजस्व तथा खनिज विभाग के दल द्वारा संयुक्त सीमांकन कर स्थायी सीमा पिलर तथा तार जाली से फेंसिंग की शर्त पर सर्वसम्मति से अनापत्ति प्रदान की गई है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 540 दिनांक 17/07/2023 अनुसार 100 मीटर की दूरी पर पक्का रास्ता स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत झिरमिरा जिला जबलपुर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 14/09/2022 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र में 05 पेड है।	
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण पश्चिम दिशा– पक्का रोड 55 मी. इस संबंध में सेट बेक प्रस्तावित है।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के पत्र क्रमांक 541 दिनांक 17/07/2023 अनुसार उक्त खदान में संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् डीएसआर में सम्मिलित कर ली जावेगी । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक	

	29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जबलपुर का पत्र क्रमांक 1217 दिनांक 13/12/2023 प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख है कि निजी आदिवासी भूमि स्वामी की सहमति को कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर अभिस्वकृति का प्रतिवेदन प्रेषित करने के संबंध में है, उक्त निर्देशों के पालन में कलेक्टर महोदय के समक्ष आदिवासी भूमि स्वामी तथा पट्टेदार श्रीमती सरला जैन द्वार स्वयं उपस्थित होकर दर्ज करायें गये शपथ पूर्वक कथन दिनांक 12/12/2023 की अभिस्वीकृति की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र के साथ प्रेषित की है।

परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि प्रस्तावित खदान 250 मीटर की सीमा में होने के कारण वन क्षेत्र क्रमांक ओ. 704 से 50 मीटर की दूरी तक प्रतिबंधित क्षेत्र में वृक्षारोपण करने की शर्त अनुसार उनके द्वारा 200 पौधे वन सीमा की ओर लगाा दिये गये है।

परीक्षण के उपरांत समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्न बिन्दुओं पर जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया :–

1. गुगल ईमेज के अनुसार समिति के सुझाव अनुसार उत्तर दिशा में रूट स्टाक दिखाई दे रहा है एवं दक्षिण पश्चिम दिशा में पक्का रोड–लगभग 55 मी. पर स्थित है अतः इस क्षेत्र को गैर खनन क्षेत्र छोडते हुये पुर्नरक्षित सरफेस प्लान एवं पुर्नरक्षित प्रोडक्शन प्लान प्रस्तुत करें।
2. चैनलिंग फेन्सिंग के बजट के साथ पुर्नरक्षित ईएमपी योजना।
3. समिति के सुझाव अनुसार पुर्नरक्षित सीईआर योजना प्रस्तुत करें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज बैठक दिनांक 23/0/24 को प्रस्तुतीकरण में रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक ओर से पर्यावरण सलाहकार पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी, ऑनलाईन मेसर्स ए.एस.जी. इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि., दिल्ली उपस्थित हुए

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता **Stone – 20,525 cum per year & Murram Quarry – 6000** .

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 14.49 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 1.18 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सीइ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि.	**राशि (रु. में)**
पेंच टाईगर रिजर्व के वन्य प्राणी के रहवास एवं वन्य कर्मचारी कल्याण हेतु सी.ई.आर मद से 1,00,000 की राशी प्रधान मुख्य वन संरक्षक भोपाल (म.प्र.) के खाते में हेतु जमा की जावेगी।	**100,000/-**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4000 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	**बैरियर जोन मे वृक्षारोपण**	आम, अमरूद, जामुन, कटहल, मुनगा, सीताफल, एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियां	**1000**
2	**ग्रामवासियों में वितरण हेतु**	**सीताफल, आवलाँ,अमरुद, मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां**	**2500**
3	**परिवहन मार्ग के दोनों तरफ पेड़ों) की न्यूतम ऊंचाई (मीटर 1**	**करंज, कदम , चिरोल, जंगल जलेबी** , अमलताश, गुलमोहर **एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां**	**500**

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

अध्यक्ष महोदय के अनुमति से चर्चा के अन्य बिन्दु/प्रस्ताव।

अ. बैंक गारंटी विमुक्त किये जाने के संबंध में समिति द्वारा किये गये निरीक्षण प्रतिवेदन पर चर्चा

निम्न प्रकरणों में सिया द्वारा बैंक गांरटी प्राप्त होने के पश्चात पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई है। परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तुत सुधारात्मक प्रयास हेतु पारिस्थिति की नुकसान, सुधारकारी योजना और प्राकृतिक तथा सामुदायिक संसाधन आर्वधन योजना **(Assesment of ecological damage, remediation plan & Natural & Community resource Augmentation Plan)** के क्रियान्वयन हेतु व्यय होने वाली राशि के समतुल्य राशि की बैंक प्रत्याभूति **(Bank Guarantee)** परियोजना प्रस्तावकों द्वारा जमा की गई थी । तत्पश्चात परियोजना प्रस्तावकों द्वारा विभिन्न प्रसवित योजनाओं के अंतर्गत किये गये कार्यो को क्रियान्वित कर बैंक गारंटी विमुक्त करने हेतु किये गये आवेदन सिया के माध्यम से समिति को प्राप्त हुयें इस परिपेक्ष्य में संपादित निरीक्षण प्रतिवेदन समिति के समक्ष चर्चा हेतु रखे गये। विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है :–

Report of site visit which is conducted on 20.01.2024

स.क	प्रकरण क0.	निरीक्षण प्रतिवेदन में अनुशंसा	रिमार्क
1.	**Case No. - 5708/2018** M/s Sterling Balajee Mega Ventures, Near Spring Valley, Katara Hills, Bhopal, (M.P.) – 462043. *Prior E C for Pride City Phase - II of M/s Sterling Balajee Mega Ventures at Khasra No. – 316/1, Village - Katara, Tehsil - Huzur, Distt. - Bhopal (M.P.) Total Plot Area: 32374.88 Sqm, (3.237 Hect.) Net Planning Area: 39868.60 Sqm. (3.237 Hect.), Total Built--up Area: 32374.88 Sqm., Cat. - 8(a) .*	बैंक गारंटी विमुक्त करने **की अनुशंसा** है।	निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति संलग्न।
2.	**Case No. 5738/2018** Manager, DANISH HOUSING COOPERATIVE SOCIETY LIMITED, BF-1, 216-A, Zone-1, (Behind Jyoti Cinema) M. P. Nagar, Bhopal (M.P.)-462011. *Prior E C for Construction of Proposed Residential Development on Part of Khasra No. - 69 situated at Danish*	बैंक गारंटी विमुक्त करने **की अनुशंसा** है	निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति संलग्न।

	Hills View Colony Village - Damkheda Kolar Road, Tehsil - Huzur, District - Bhopal (M.P.), Category: 8 (a).		
3.	**Case No. - 5780/2018** M/s. Fortune Soumya Santoza, C/o Fortune Soumya Housing, Bagli, Behind C-21 Mall, Bhopal, MP – 462016. *Prior E C for Construction of Group Housing Project "Fortune Soumya Heritage" Khasra No. – 99/2, 122, 123, 132, 133, 134, 135/2, 136 to 162, at Village - Bhairopur, Tehsil - Huzur & Dist. -Bhopal, (M.P.). Total Project Area = 43981.27 sqm., Built up Area = 59892.30 sqm).* Category: 8(a).	बैंक गारंटी विमुक्त करने की अनुशंसा है	निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति संलग्न।
4.	**Case No. - 7523/2020** Shri Abhishek Jain, General Manager, M/s S.V. Infra Developers, First Floor, E-5/16, Commercial, Arera Colony, Bhopal (M.P.) 462016. *Prior E C for "Premier Orchard " ProjectTotal Plot Area - 85660 sqm., Total Built-up Area – 74704.89 sqm at Khasra No. 6/1, 6/2, Village - Raslakheri, Tehsil - Huzur & Dist. - Bhopal (M.P.) Category: 8(a) Project.*	बैंक गारंटी विमुक्त करने की अनुशंसा है	निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति संलग्न।
5.	**Case No - 7316/2020** M/s Signature Builder & Colonizers, A-101, Orchard Point, Place Orchard, Kolar Road Bhopal (MP)-462042. Prior E C for approval of Group Housing Project "Signature Residency" Total plot area 24600 sq.mtr. (Built uparea 33587.896 sq.mtr. (including FAR+Non FAR area)) at Khasra No. 299/1/1, 298/1/1, 298/2/1, 299/2, 300/2/3(300/2/3/1(ka), 300/2/3/2(ga)), 300/2/2/ka/1, 300/2/2/ga/1, 300/2/ka/2,300/2/ga/2 at Vill.-Banjari, Tehsil Huzur Kolar Road Distt.Bhopal (MP).Cat: 8(a).	बैंक गारंटी विमुक्त करने की अनुशंसा नही की जा सकती है।	PP vide their letter dated 20.01.2024 requested that remediation plan is still under process which will be completed in next 10-15 days time. परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को समिति द्वारा मान्य किया गया ।

सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

Report of Site Visit of SEAC Committee on 20/01/2024.

The following 4 members of SEAC Committee visited the site as follows,

1. Dr. J. P. Shukla, SEAC Member.
2. Shri Raghvendra Shrivastava, SEAC Member.
3. Prof. Anil Prakash, SEAC Member.
4. Prof. A. K. Sharma, SEAC Member.

Case No. - 5738/2018 M/s Danish Housing Coop. Society Ltd, 216-A, Zone-I, M.P.Nagar, Bhopal – 462008.Prior Environment Clearance for Proposed Residential Development on Part of Khasra No. 69 (Land Area = 15380 sq.mt, Total Built up Area = 24755.26 sqmt.) situated at Danish Hills View Colony Village Damkheda Kolar Road, Tehsil - Huzur, DIst. Bhopal, MP [22838] .

Prescribed remedial measures which were to be complied have been reported below;

1. 1. It was decided to help for Municipal Authority for maintenance of already developed park at BHEL, Bhopal. An expenditure of Rs. 4, 09,750 was to be incurred for this activity. On the spot, it was informed by the PP that the activity has been carried out at different place and documentary proof was not provided for the same.

If sufficient evidence of the social work at public place is provided to SEIAA, the release of BG may be recommended.

Dr. J. P. Shukla

Raghvendra Shrivastava

Prof. Anil Prakash

Prof. A. K. Sharma

Report of Site Visit of SEAC Committee on 20/01/2024.

The following 4 members of SEAC Committee visited the site as follows,

1. Dr. J. P. Shukla, SEAC Member.
2. Shri Raghvendra Shrivastava, SEAC Member.
3. Prof. Anil Prakash, SEAC Member.
4. Prof. A. K. Sharma, SEAC Member.

Case No. - 5757/2018 Pacific Business Centre of M/s SARC Infrastructure and Technology at Village Bawadia Kala, Tehsil - Huzur, District - Bhopal (M.P.)-462026. Prior Environment Clearance for Pacific Business Centre of M/s SARC Infrastructure and Technology, Khasra No. – 378/1, at Village - Bawadia Kala, Tehsil- Huzur, District-Bhopal (M.P.), Total Land Area-1630.35 sq.mt. (4.05 Acre or 1.639 Hect.), Total Built up Area – 61334.56 Sq. mt., Category: 8(a) Building & Construction Project.

Prescribed remedial measures which were to be complied have been reported below;

1. 135 trees have been planted against prescribed 250 trees

2. As per remediation plan, plantation work of Rs. 5,49,000 was to be done

3. Average cost per tree including maintenance comes out to be Rs. 1000. As per this cost, total trees to be planted against Rs. 5, 49,000 amounts to be 500 ntrees

After planting 500 trees with substantial proof to SEIAA, the amount may be released.

Dr. J. P. Shukla

Raghvendra Shrivastava

Prof. Anil Prakash

Prof. A. K. Sharma

Report of Site Visit of SEAC Committee on 20/01/2024.

The following 4 members of SEAC Committee visited the site as follows,

1. Dr. J. P. Shukla, SEAC Member.
2. Shri Raghvendra Shrivastava, SEAC Member.
3. Prof. Anil Prakash, SEAC Member.
4. Prof. A. K. Sharma, SEAC Member.

Case No. - 5758/2018 "Sterling Globe Grand" of M/s Sterling Globe Builders, Parther Shri Sanjeev Sabherwal, Village opposite Hanumarn Nagar, Jatkheri Road, Near Hoshangabad Road, Tehsil -Huzur, District -Bhopal (MP)-462026. Prior Environment Clearance for "Sterling Globe Grand" of M/s Sterling Globe Builders, Total Plot Area - 12,600.00 sq.mt. (1.26 hect.), Total Built up Area – 29,845.64 Sq. mt., at Village - Opposite Hanumar Nagar, Jatkheri Road Near Hoshangabad Road, Tehsil -Huzur, District -Bhopal (M.P.) Category: 8(a) Building & Construction Project.

Prescribed remedial measures which were to be complied have been reported below;

1. During earlier site visit of SEAC committee on 13/12/2023, a shortfall of 55 plants was observed which has been found complied during this visit.

Thus, release of BG is recommended.

Dr. J. P. Shukla

Raghvendra Shrivastava

Prof. Anil Prakash

Prof. A. K. Sharma

Report of Site Visit of SEAC Committee on 20/01/2024.

The following 4 members of SEAC Committee visited the site as follows,

1. Dr. J. P. Shukla, SEAC Member.
2. Shri Raghvendra Shrivastava, SEAC Member.
3. Prof. Anil Prakash, SEAC Member.
4. Prof. A. K. Sharma, SEAC Member.

Case No.5759/2018 M/s Fortune Soumya Housing Bhopal, Fortune Soumya Santoza C/o Fortune Soumya Housing Bagli, Behind C-21 Mall Bhopal (MP)-462016. Prior Environment Clearance for Construction of Group Housing Projet "Fortune Soumya Atlantis" at Khasra No. 160/2, 161, 162, 163/2, 163/3, 163/4, 164/1, 164/2, 171/1, 171/2, 326 at Bagli, Barrai, District Bhopal (MP). [22854].

Prescribed remedial measures which were to be complied have been reported below;

1. Vermicomposting unit is complete but functionality is required and accordingly, release of BG is recommended.

Dr. J. P. Shukla

Raghvendra Shrivastava

Prof. Anil Prakash

Prof. A. K. Sharma

Report of Site Visit of SEAC Committee on 20/01/2024.

The following 4 members of SEAC Committee visited the site as follows,

1. Dr. J. P. Shukla, SEAC Member.
2. Shri Raghvendra Shrivastava, SEAC Member.
3. Prof. Anil Prakash, SEAC Member.
4. Prof. A. K. Sharma, SEAC Member.

Case No. - 5780/2018 M/s Fortune Soumya Santoza, C/o Fortune Soumya Housing, Bagli, Behind C-21 Mall, Bhopal, MP – 462016. Prior Environment Clearance for Construction of Group Housing Project "Fortune Soumya Heritage" (Total Project Area = 43981.27 sqm., Built up Area = 59892.30 sqm) at village - Bhairopur, Tehsil - Huzur & Dist. Bhopal, MP [22847].

Prescribed remedial measures which were to be complied have been reported below;

1. It was decided to help for Municipal Authority for maintenance of already developed park at BHEL, Bhopal. An expenditure of Rs. 2, 83,798 was to be incurred for this activity. On the spot, it was informed by the PP that the activity has been carried out at different place and documentary proof was not provided for the same.

If sufficient evidence of the social work at public place is provided to SEIAA, the release of BG may be recommended.

Dr. J. P. Shukla

Raghvendra Shrivastava

Prof. Anil Prakash

Prof. A. K. Sharma

Code No 7316/2020

Signature BUILDERS
SIGN IN TO GOOD TIMES

Signature Group, Chuna Bhatti Square, Bhopal - 462016 (M.P.) Ph.: +91 755 4094785, 4094508
web: www.thesignaturegroup.in

To,
The Chairmen
MP SEAC
Paryawaran Parisar
E-5 Arera Colony
Bhopal

Date-20-01-2024

Sub recordings site visit for the releasing of bank guarantee.

R sir

This is to inform you that as per our environment clearance condition so of the development against remediation plan is still under process which will be completed in next 10 to 15 days time.

Accordingly we have submitted the Bank Guarantee validity extension letter to the authority.

Extension copy of Bank Guarantee enclosed. We therefore request you to kindly residual the visit as per the submission of our completion against remediation plan.

Thanking Your

For Signature Builders

(Authorised Signatory)

Encl- Extension copy of Bank Guarantee
EC Compliance Certificate

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.

18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
    d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
    f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.

33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be $1/4^{th}$ or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.

14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    g. Lease owner's Name, Contact details etc.
    h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    j. Minable Potential of sand mine.
    k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    l. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
    iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.

iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.

31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) "from the river…….bank" shall be restricted should be followed in verbatum as the para says.
38. विगत वर्षो में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेथन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
39. पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तो का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety

signage & caution boards shall be displayed at mine site.

5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.

m. Lease owner's Name, Contact details etc.
n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
p. Minable Potential of sand mine.
q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)

27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutatns in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.

40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP

and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.

20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yaears and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:

    - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
    - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.

- ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
- ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
    - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
    - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
    - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
    - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
    - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
    - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
    - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

37. **FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.**
    - Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
    - Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
    - A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
    - The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

38. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होतो अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
39. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
40. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोडते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
41. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर

इनके द्वारा अवशोषित कार्वन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।

42. CER योजना के अंतर्गत जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6–6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।

43. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :–

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु मल्चिंग जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ो के चारो ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणो के चारो ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट – 8 :– रेत के प्रकरणों में (पौधो की ऊँचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियॉ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधो के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :– छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष

- जामुन, कहवा, कंरज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घांस प्रजातियॉ, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पॉचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों, लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूँचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।

खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई च्तवदम ठतममकपदह ब्मदजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल